

आवास भारती



वर्ष 8, अंक 26
जनवरी - मार्च, 2008



राष्ट्रीय
आवास बैंक

आवास भारती

वर्ष 8, अंक-26, जनवरी-मार्च, 2008
राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)
पंजी. संख्या : दिल्ली इन/2001/6138



प्रधान संरक्षक

एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

सुरेन्द्र कुमार, कार्यपालक निदेशक

संयुक्त संरक्षक

पी. के. कौल, महाप्रबंधक

संपादक

ओ. पी. पुरी, सहायक महाप्रबंधक

उप संपादक

रंजन कुमार बरुन, प्रबंधक

सहायक संपादक

अमरसिंह सचान, (हिन्दी अधिकारी)

संपादक मंडल

किशोर कुंभारे, प्रबंधक

पूनम चौरसिया, उप प्रबंधक

लीना बासुमतारी, सहायक प्रबंधक-मुम्बई कार्यालय से

निधि एस नागेन्द्र, सहायक प्रबंधक

ऋतु शर्मा, सहायक प्रबंधक

आदित्य सौरभ, सहायक प्रबंधक


पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

विषय सूची

विषय

पृष्ठ सं.

संपादक की कलम से	2
मिश्रित विपणन एवं पुनर्वित्त संस्थान	3
जहाँ सुमति तहाँ संपति नाना	4
विलय एवं अधिग्रहण कैसे कार्य करते हैं	6
कन्या भ्रूण हत्या एवं घटती जनसंख्या	9
नई विश्व भाषा - ग्लोबिश	11
कुछ देशी नुस्खे	13
दांतों की मजबूती के लिए	14
भारत के प्रदेश - अरुणायल प्रदेश	15
जनम - मरण से पार	17
कबीर के दोहों में छिपा दर्शन	18
पैसा भेजना हुआ आसान	19
निर्णय का मोल तोल	20
शाह-ए-जहाँ बना हमारा जात	20
भ्रूण हत्या और कानून	21
काव्य सुधा	22
राष्ट्रीय आवास बैंक परीवार समाचार	??
आपकी पाती	23





संपादक की कलम से

23 मार्च, 2008 को सारी दुनिया में जल दिवसा मनाया और आने वाले भविष्य में जल की भयावह स्थिति की तस्वीर पेश की गई। विभिन्न वैज्ञानिकों एवं विचारकों ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में जल की कमी और जल संकट का सबसे अधिक सामना एशियाई देशों को करना पड़ेगा जिनमें से एक भारतीय उप-महाद्वीप भी है। यद्यपि, प्रकृति ने इस क्षेत्र के देशों को जल के अगाध स्रोत प्रदान किए हैं, परन्तु इनका उचित प्रबंधन न होने के कारण पीने योग्य पानी विनष्ट हो रहा है।

जिस तरह शरीर में 75 प्रतिशत से अधिक रक्त और द्रव पदार्थ होते हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी का लगभग 75 प्रतिशत भाग जलयुक्त है। जहां दो तिहाई पृथ्वी जल से आवृत्त है, वहीं एक तिहाई स्थलीय है। इसमें काफी भाग मीठे पानी की नदियों, झीलों, तालाबों से आवृत्त है। सच तो यह है कि जहां मानव ने विज्ञान की प्रगति से बड़ी नदियों, प्रपातों एवं सरोवरों में बाँध बनाए एवं विद्युत संयंत्र लगाए हैं, नहरे निकाली व सिंचाई की है, वहीं इसी विज्ञान की प्रगति की अंधी एवं लालची वृत्ति की दौड़ ने प्रकृति के इस वरदान को शाप में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

मानव द्वारा औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक स्रोतों का खनन एवं दोहन, जंगलों का तेज़ी से विलुप्तीकरण, औद्योगिकीकरण के उत्पाद जैसे परिवहन के अनेक साधन-ट्रक, कारें, बसें, हवाई जहाज़, जलपोतों के कार्बन डायॉक्साइड (सीओ₂) के उत्सर्जनों ने भयानक प्रदूषण की स्थिति पैदा कर दी है। आज मानव जनित सीओ₂ की मात्रा प्रकृति की अपेक्षा 14000 गुना तेज़ी से डाल रहे हैं। हमें सोचना होगा कि क्या पृथ्वी इस असंतुलन को सहन कर पाएगी।

इन्हीं सबके कारण पृथ्वी का औसत तापमान डेढ़ से दो डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की अपेक्षा की जा रही है। यदि यह संभावना सच होती है (जो कि समय पर उचित कदम न उठाए जाने पर होगी ही) तो विश्व के मानचित्र में भारी परिवर्तन होना सुनिश्चित है। अंटार्कटिका एवं ध्रुवीय बर्फ तेज़ी से पिघली शुरू हो गई है। हिमनद तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं। यदि यह सब इसी गति से जारी रहा तो अगली सदी में समुद्र स्तर में 4 - 5 मीटर की ऊंचाई बढ़ेगी और बहुत सारे देशों / द्वीप समूहों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का भविष्य संकट में है। वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि यदि हिमनदों का पिघलना जारी रहा और पृथ्वी का तापमान 2 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो हिमालय का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा और नदियोंके जल प्रवाह में भारी कमी आएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर एशियाई देशों की स्थिति कल्पना से ही सिहरन होती है। उस समय यहां पर न केवल जल संकट हागा बल्कि जल संकट के साथ-साथ अकाल, भुखमरी, सूखा जैसी आपदाएं होंगी और साथ ही जल की कमी से हर उद्योग तथा विद्युत जैसी चीजों का अभाव होगा। मानव एक बार फिर से लाखों वर्ष पूर्व की स्थिति में पहुंचने की स्थिति में होगा।

जल एवं जलवायु संरक्षण के अनेक प्रयासों, नीतियों, मंचों के आह्वान के बावजूद इस दिशा में विकासशील एवं विकसित देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। यदि विश्व के हर नागरिक ने अपनी सोच एवं समझ नहीं बदली और विवेक से काम नहीं लिया तो पृथ्वी के साथ-साथ प्रकृति एवं मानव का अस्तित्व जोखिम के मुहाने पर खड़ा होगा। हम जहाँ हैं और जिस जगह पर हैं; वहीं से पृथ्वी एवं प्रकृति की संरक्षण में लग जाना चाहिए। तभी हम एक हरी भरी एवं अच्छी दुनिया आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकते हैं। एक मत से 'शुभस्य शीघ्रम्' की आवश्यकता है।

ओ.पी.पुरी

संपादक



मिश्रित विपणन एवं पुनर्वित्त संस्थान



—आर.के. अरविंद
उपप्रबंधक

मुझे अपने प्रशिक्षण काल की एक बात याद है उन दिनों मैं एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यरत था, मेरे एक प्रशिक्षक ने कहा था कि यदि आप किसी कारणवश ग्राहक की मांग को पूरा न भी कर सकें तब भी वह ग्राहक संतुष्टि के साथ बैंक से जाए। समय गुजरने के साथ-साथ मैंने अनुभव किया कि यदि हम ग्राहक का काम समय पर, शीघ्रता और कुशलता से कर सकें तो बहुत कुछ कष्ट कम ही जाते हैं। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जा रहे विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करते हैं। क्या उन्हें विपणन की कोई आवश्यकता होती है? ऐसे संस्थानों के मामले में विपणन की क्या रणनीति होनी चाहिए; क्योंकि उनके विशेष प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, जहाँ न केवल मध्यस्थ संगठनों (जिन्हें यहाँ वितरक कहा गया है) के माध्यम से पोषण तथा कामकाज करते हैं बल्कि अंतिम उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करना भी सुनिश्चित करते हैं। ऐसे संस्थानों के विपणन कार्यक्रमों का होना अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि नए-नए उपायों की तलाश करनी होती है और उन संस्थानों को कार्यक्षम बनाये रखने के लिए कारोबार को विकसित करना होता है। मुझे स्मरण है कि विपणन कक्षाओं के दौरान हमें विपणन के बारे में हमेशा चार का महत्वपूर्ण बातों की समझाया जाता था जो इस प्रकार है - उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। मैंने इन चारों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का निश्चय किया है कि वे इन संस्थानों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं।

उत्पाद

विपणन और बिक्री में अन्तर होता है। बिक्री में संगठन अपने माल को बेचना चाहता है जबकि विपणन में ग्राहक की मांग को संतुष्ट करने के प्रयोजन से उत्पाद तैयार किया जाता है क्योंकि ग्राहक की वही मांग होती है और फिर बिक्री की जाती है। उत्पाद को तैयार करते समय अंतिम उपभोक्ता की संतुष्टि के साथ-साथ वितरकों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है जिससे उस उत्पाद की बिक्री से उनका नेटवर्क बढ़े। हमारे पास बहुत उत्तम माल हो सकता है किन्तु यदि वितरक जिनके द्वारा बिक्री किये जाने की संभावना है, उस उत्पाद के डिजायन से सहमत न हों तो ऐसा उत्पाद अलमारियों की ही शोभा बढ़ाता रहेगा। अतः यह अति आवश्यक है कि उत्पाद का डिजायन तैयार करते समय अंतिम

उपभोक्ता और वितरकों से उचित मध्यमों से सम्पर्क बनाये रखा जाये। पुनर्वित्त के अतिरिक्त अन्य उत्पादों का भी डिजायन तैयार करने की भी जरूरत है जिससे न केवल मांग अधिक होगी बल्कि उन संगठनों की पहचान भी बढ़ेगी।

मूल्य

उत्पाद की लागत कम रखने और उचित लाभ मिलने के साथ ही न केवल वितरकों को भी पर्याप्त लाभ हो; बल्कि ग्राहक पर भी अधिक बोझ न पड़े, का प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती होती है। पुनर्वित्त का समुचित मूल्यांकन निर्धारित होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। सरकार/अन्य संगठनों द्वारा रियायती दरों पर निधियां उपलब्ध कराने, आर्थिक सहायता आदि देने से शृंखला से जुड़े सभी संबंधितों को लाभ होगा।

स्थान

क्या इन संस्थानों को अपने फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने चाहिए या वितरकों के मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से काम करना चाहिए - यह एक बड़ी चुनौती होती है? फुटकर बिक्री केन्द्रों से उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है और इससे कारोबारी संसाधन उत्पन्न कराने में भी सहायता मिलती है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि फुटकर बिक्री केन्द्रों के कार्य को मुख्य कार्यालय और वितरकों के नेटवर्क से सम्बद्ध किया जाये।

संवर्धन

किस प्रकार की संवर्धन रणनीति अपनाई जाये। हम प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से विज्ञापन की किस प्रकार की योजना तैयार करते हैं? कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि संस्थान वास्तव में किसी उत्पाद की बिक्री का काम न कर रहे हों और उनके स्थान पर यह कार्य वितरक कर रहे हों तो इस स्थिति में जरूरी है कि वितरकों को संवर्धन अभियान से सम्बद्ध किया जाये।

अंत में, उन संस्थानों के 'कार्मिक' भी विपणन कार्यक्रमों की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि योजना बनाई जाए उसे क्रियान्वित भी किया जाए। सभी लोगों को ऐसे कार्यक्रमों के महत्व को समझना चाहिए। कार्यक्रमों को तैयार करने में उनके अनुभवों का इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि समर्पण की भावना से 'टीम वर्क' हो।



जहाँ सुमति तहाँ संपति नाना



अमर सिंह सचान

प्राचीन काल की बात है। धारा नगरी में एक कृषक परिवार रहता था। वह कृषक अपनी थोड़ी से खेती में परिश्रम करके भरपूर अनाज उगाता था। उसकी पत्नी एवं दो लड़के एवं एक लड़की थी। ये सब पढ़ने-लिखने के साथ-साथ कृषि कार्य में अपने माँ-बाप की सहायता करते थे। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। समय गुजरता गया। बच्चे अब जवान हो रहे थे। चूँकि किसान की बेटी सबसे बड़ी थी, इसलिए उसके युवा होते ही एक सुयोग्य वर तलाश कर पुत्री का विवाह कर दिया। वह अपनी सुसराल चली गई। सौभाग्य से पुत्री अपनी ससुराल में खुश थी और उसे सभी प्यार करते थे। वह एक आदर्श वधू साबित हुई।

इधर समय गुजरने के साथ दोनों लड़के भी जवान हो गए। किसान ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार धूम-धाम से पहले बड़े बेटे का विवाह किया और फिर दो वर्ष बाद छोटे बेटे का विवाह कर दिया। बड़े बेटे की पत्नी तो सीधी एवं सज्जन और पति पारायणा थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी कर्कशा एवं मुँहफट थी। बात-बात पर अपने मायके की तुलना करते हुए अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाती। सास-ससुर की मर्यादा का ध्यान भी न रखती थी। घर में कलह बढ़ती गई। समय भी गुजरता गया और किसान के दोनों बेटों के परिवार में वृद्धि हुई। दोनों के घर दो-दो संतानों ने जन्म लिया। दानों के घर एक-एक पुत्र और एक-एक पुत्री थे। किसान का परिवार तो बढ़ा पर जमीन तो उतनी ही थी पर खर्चे बढ़ गए इधर छोटी बहू ने कलह मचाई और उसने लड़ाई करके घर का बटवारा करवा दिया। बेचारा किसान वृद्ध हो चुका था और परिवार बिखरता देख कर टूट गया और एक दिन उसका स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद कृषक की पत्नी भी चल बसी। परिवार के मुखिया के चल बसने के साथ ही परिवार की एकता टूटने लगी। हर व्यक्ति की सोच बदल गई। परहित की भावना की जनिज हित दिखने लगा। लाख प्रयासों के बाद बड़ा बेटा पिता की विरासत संभाल न सका। एक ओर दोनों पति-पत्नी का सीधापन तो दूसरी ओर छोटे भाई एवं उसकी पत्नी को कुटिल चालें। छोटे भाई की पत्नी को तो जैसे मौका मिल गया। बात-बात पर बड़े भाई व भाभी को ताने मारती और नीचा दिखाती। उम्र बढ़ने के साथ वह और अधिक कुटिल व चालाक बनने के साथ-साथ लालची एवं धूर्त भी बन गई। दोनों भाइयों के परिवार

अलग रहने के बावजूद शांति न थी। इसी बीच छोटे भाई ने अपनी पत्नी के फेर में आकर अपने बड़े भाई की जमीन-जायदाद भी अपने नाम करवा ली और कुछ दिनों बाद उन्हें घर-जमीन से बेदखल करवा दिया। बड़ा भाई व उसकी पत्नी और बच्चों ने लाख मिन्नतें की, मगर छोटे भाई की कर्कशा पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया और तरह-तरह के इल्जाम लगाए, यहाँ तक कि अपनी इज्जत लूटने की बात फैलाकर उन्हें गाँव से ही निकलवा दिया। बड़े भाई को इन सब से इतना क्षोभ एवं दुख व खेद हुआ कि उसने कोई सफाई देने की जरूरत नहीं समझी और सपरिवार गाँव छोड़कर चल पड़ा। उसे इस बात का संतोष था कि उसकी पत्नी और बच्चों को उस पर पूरा विश्वास था। वे अभी भी उसकी हर आज्ञा का पालन करते व सम्मान देते थे। उसने सोचा कि परदेश जाकर कुछ मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेगा।

पूरा परिवार पैदल ही चल रहा था। सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई। वे एक घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। सभी थकावट महसूस कर रहे थे और बच्चों को भूख लग रही थी। पूरे परिवार ने एक मत होकर एक घने वृक्ष के नीचे ठहर कर भोजन और आराम करने का निर्णय किया।

सौभाग्य से इस वृक्ष पर एक यक्ष रहता था और वह उस परिवार के सारी क्रियाकलापों को देख रहा था। पत्नी पति की सच्ची सहयोगिनी के रूप में काम कर रही थी और पति को ढाँढस बँधाकर परिवार बिखरने के दुख से उबार रही थी। बच्चे पिता की हर आज्ञा का पालन कर रहे थे। कोई लकड़ियाँ बीनकर लाया तो कोई फल-फूल खोजकर लाया मिल जुल कर खाना बनाया और खाया और अब आराम कर रहे थे।

थोड़ी देर आराम करने के बाद, पिता उठा और उसने पत्नी से सलाह की। इसके बाद कुछ पैसे कमाने के लिए उसने जंगल से कुश काटकर उसकी रस्सी बनाने का निर्णय लिया। उसने कुश काटी तो दोनों बच्चे उसे कूट-कूट कर नरम बनाने लगे। पत्नी उसे पानी से भिगो लाई। किसान ने रस्सी बनाने की जिम्मेदारी ली तो अन्य तीनों सदस्यों ने कुश की एक-एक लड़ी पकड़कर एँठने लगे। किसान उन तीनों लड़ियों को एक साथ मिलाकर एँठता गया और इस प्रकार से तीन लड़ी वाली मोटी रस्सी तैयार होने लगी।



वृक्ष के ऊपर बैठा यक्ष यह सब देख रहा था और मोटी रस्सी देखकर उसे भय सताने लगा कि कहीं ये लोग उसे पकड़ने वाले तो नहीं। अभी कोई 10 गज रस्सी तैयार हो पाई थी कि पेड़ से यक्ष उतर कर नीचे किसान के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। पहले तो पूरा परिवार डरा, परन्तु डर पकट नहीं होने दिया। वे लोग कुछ कहते कि इसके पहले ही यक्ष बोल पड़ा “महाशय, आप यह रस्सी क्यों बना रहे हैं! क्या मुझे पकड़ना चाहते हैं?”

किसान को जवाब सूझ पड़ा उसने कहा, “हाँ मैं आपको ही पकड़ने की योजना बना रहा हूँ।” यक्ष बोला, “महाशय! आप हमें न पकड़ें। मैं जानता हूँ कि आप चारों लोग एकता के साथ मुझे पकड़ सकते हैं। मैं आपकी एकता एवं परस्पर प्रेम से अभिभूत हूँ। मैं आप को ढेर सारा धन दूँगा; पर मुझे पकड़ने का विचार त्याग दीजिए।”

परिवार के लोगों ने परस्पर एक दूसरे को देख और मान गए। उसकी पत्नी ने कहा, “हम लोग यह सारा प्रयास धन जुटाने के लिए ही कर रहे हैं। अगर आप हमें पर्याप्त धन दे देंगे तो हम आपको नहीं पकड़ेंगे और वापिस अपने गाँव चले जाएंगे। यक्ष पेड़ पर चढ़ा और धन की एक बड़ी सी पोटली किसान के चरणों में रख दी। वे सभी पुनः अपने गाँव आ गए। जहाँ उन्होंने एक बड़ा सा भवन खरीदा और पर्याप्त मात्रा में जमीन खरीद कर खेती बाड़ी शुरू कर दी। बच्चे उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय जाने लगे।

ये बातें उसके छोटे भाई तथा उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी। वे ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने अपने बड़े भाई व भाभी से पैसे पाने का रहस्य जानना चाहा और न बताने पर राजा के पास चोरी से धन कमाने की शिकायत करने की धमकी दे डाली। उन लोगों ने बचने की कोई राह न देखकर धन प्राप्त करने का रहस्य बता दिया। बस फिर क्या था दूसरे दिन वे लोग भी जंगल की राह चल पड़े। पहली बात तो परिवार के सदस्य एक साथ जाने को राजी नहीं हो रहे थे और ऊपर से बच्चे माँ-बाप की एक बात भी नहीं सुनते थे। छोटे भाई की पत्नी कर्कशा तो थी ही, बात-बात पति को धमकाकार अपनी उगलियों पर नचाती थी। दोपहर तक पैदल चलने पर पूरा परिवार कई बार झगड़ा, लेकिन लोभ एवं लालच के कारण चलते रहे। अंत में वह पेड़ भी आ गया। जहाँ पहुँचकर उन्होंने दोपहर के भोजन को तैयार करने का उपक्रम शुरू किया। चूँकि परिवार के सदस्य एकमत एवं एकसूत्र में और प्यार के बंधन में नहीं बंधे थे। इसलिए एकता एवं निष्ठा की झलक नहीं थी।

पेड़ के नीचे बैठकर जब छोटे भाई ने अपने एक बच्चे को

सूखी लकड़ियाँ चुनकर लाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया कि छोटे वाले को भेज दो। छोटे वाले ने उल्टा जवाब दिया। मैं थक गया हूँ खुद ही क्यों नहीं चले जाते। जब उसने पत्नी से कहा तो वह पति पर चिल्ला पड़ी - मुझे पर हुकुम चलाते हो यह नहीं कि खुद चले जाओ। मुझे तो खाना पकाने का काम भी करना है। पानी लाने की बात पर भी सब का ऐसा ही गोल-माल जवाब था। खैर धन के लालच में किसी तरह भोजन पका। पति को छोड़कर सबने दिखावे के लिए बिना इच्छा एवं रुचि के खाया और आराम करने लगे।

थोड़ी देर बाद पत्नी ने पति को उठाया और बोली रस्सी बनाने का उपक्रम करिए। लेकिन कुश काटकर लाने और उसे कूटने एवं पानी में भिगोने की बात पर सब अगल-बगल झाँकते। कोई कहता मैं क्यों करूँ? क्या सारा धन मुझे ही मिलना है। मैं क्यों काटूँ; खुद क्यों नहीं काट लेते। पत्नी भी बार-बार पति को झिड़की देती क्योंकि काम करने की आदत तो थी नहीं। पेड़ पर बैठा यक्ष सब देख रहा था। उसने समझ लिया कि ये लोग धन जुटाने के मोह में यहाँ आए हैं। पर परिवार में आपसी एकता एवं प्यार नहीं है। हर कोई स्वार्थी एवं लालची है।

खैर किसी तरह रस्सी बनाने का उपक्रम जारी हुआ तभी यक्ष पेड़ से उतर कर नीचे आया और हाथ जोड़ कर बोला - “आप लोग यहाँ कैसे आए हैं?” अभी यक्ष का प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी बोल पड़ी - “हम लोग तुम्हें पकड़ने आए हैं। अगर बचना चाहते हो तो दो पोटली धन लाकर दो।” यक्ष खूब जोर-जोर से हँसने लगा और बोला - “अगर धन नहीं दिया तो आप क्या करोगे?” हम लोग तुम्हें बाँध कर बाज़ार में बेंच देंगे” उसकी पत्नी बोली। यक्ष फिर ठठाकर हँसा और बोला “अरे जा, कुलच्छी, कर्कशा, लालची नारी! पहले अपने घर परिवार को बाँध, बच्चों को सुंस्कृत एवं आज्ञाकारी बना, पढ़ा लिखा और पति की आज्ञा मान, बड़ों का सम्मान करना सीख। जहाँ सुमति तहें संपति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना।” उसके बाद वह उसके पति की ओर मुँह करके बोला “अरे मूर्ख! मंद बूद्धि तू अपनी पत्नी का दास है। अपने देवता जैसे भाई एवं भाभी को सम्मान न दे सका और आज उनकी नकल कर धन कमाने आया है। आज मैं तेरे उसी भाई के पुण्यकर्मों के कारण तुझे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा इसी रस्सी से तुम सबको बाँध कर इसी सरोवर में डुबोकर मार डालता। मुझे एक परिवार की एकता, अखंडता एवं प्यार ही हरा सकता है। तुम जैसे बिखरे, स्वार्थी एवं लालची लोग नहीं।” इतना कह कर वह अंतर्धान हो गया। यह कहानी “जहाँ सुमति तहें संपति नाना” उक्ति को चरितार्थ करती है।



विलय एवं अधिग्रहण - कैसे कार्य करते हैं?



-एम. अनुराधा

उप प्रबंधक

विलय एवं अधिग्रहण एक भिन्न रास्ते को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें दो अथवा अधिक कंपनियाँ एक ही स्वामित्वाधीन एक साथ आ सकती हैं। इस प्रकार, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद सकती है, दो कंपनियाँ मिलकर एक बड़ी कंपनी अथवा उनको मिलाकर अधिक कंपनियाँ बना सकती हैं। विलय एवं अधिग्रहण एक आर्थिक विकास प्रक्रिया का संकेत है जो कार्यशक्ति में, ग्राहकों में और आधारिक संसाधनों में तात्कालिन विस्तार का संकेत देती है जिससे कंपनी के आय और लाभ में समग्र बढ़ोतरी होती है।

शब्द 'विलय एवं अधिग्रहण बहुत भ्रान्त होते हैं और अंतर परिवर्तनीय रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके चलते, अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है क्योंकि निवल परिणाम बहुधा वही होता है। दो अथवा अधिक कंपनियाँ, जो पृथक स्वामित्व में थी, एक ही छत्र के नीचे परिचालन प्रारम्भ कर देती हैं और आमतौर पर एक रणनीतिपरक वित्तीय उद्देश्य प्राप्त करना होता है। तथापि, इसका लेनदेन रणनीतिपरक, वित्तीय, कर संबंधी होता है और यहां तक कि इसका सांस्कृतिक आघात बहुत भिन्न हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि लेनदेन किस प्रकार तैयार किया जाता है। विलय (आमतौर पर शेयरों के विनिमय के माध्यम से) दो कंपनियों का मिलकर एक हो जाने को निर्दिष्ट करता है। विलय की परिभाषा किसी एकल संस्था में दो भागीदारों की एकता का अर्थ देने के लिए की जा सकती है।

अधिग्रहण वहां होता है, जहां कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी का शेयरधारण हित का निमंत्रण ग्रहण करती है। यह वहां एक खरीदारी के रूप में हो सकता है, जहां एक व्यापार अन्य व्यापार खरीदता है अथवा एक प्रबंधन खरीद लिया जाता है, जहां प्रबंधन उसके स्वामियों से व्यापार खरीदता है। दूसरे शब्दों में अधिग्रहण तब होता है, जब कोई खरीदार कंपनी किसी अन्य की आस्तियाँ अथवा शेयर खरीदता है, वहां नकद भुगतान करने वाला विक्रेता, स्टॉक अथवा उतने ही मूल्य की अन्य आस्तियाँ विक्रेता को देता है।

स्टॉक की खरीद के लेनदेन में, विक्रेता के शेयर खरीदार की वर्तमान कंपनी के शेयरों के साथ अनिवार्य रूप से मिश्रित होना

जरूरी नहीं हैं। उन्हें एक नई गौण अथवा परिचालन प्रभाग के रूप में अलग रखा जा सकता है। किसी आस्ति की खरीदारी के लेनदेन में, विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तांतरित की जाने वाली आस्तियाँ क्रेता कंपनी की अतिरिक्त आस्तियाँ बन जाती हैं, इस आशा और प्रत्याशा के साथ कि खरीदी गई आस्तियों का मूल्य समय पर रणनीतिपरक अथवा वित्तीय प्रसुविधाओं के लेनदेन में परिणामस्वरूप, शेयरधारक का मूल्य बढ़कर, संदत्त मूल्य से अधिक हो जाएगा।

विलय एवं अधिग्रहण तीव्र वृद्धि के उपाय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और व्यापार रणनीति के जटिल उपाय के रूप में भारतीय व्यापार की ओर से उत्तरोत्तर स्वीकृत होते जा रहे हैं। उनका व्यापक रूप से प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार, परम्परागत व्यापार, व्यापार में मजबूती लाने, प्रक्रिया के बाह्य स्रोत जैसे क्षेत्रों, ग्राहक का आधार बढ़ाने, प्रतियोगिता को कम करने अथवा नए बाजार अथवा उत्पाद सेक्टर में प्रवेश करने हेतु किया जाता था। विलय एवं अधिग्रहण बाजार का एक शेयर पाने के लिए, प्रतिस्पर्धा हटाने के लिए, कर संबंधी देनदारियाँ कम करने अथवा सक्षमता अर्जित करने अथवा एक संस्था की संचित हानियों को दूसरी संस्था के लाभ के साथ समिश्रित करने के लिए, एक स्थापित ट्रेडमार्क के जरिए बाजार तक पहुंचने के लिए किए जाते हैं।

विलय एवं अधिग्रहण प्रारम्भ होने में ही बहुत सा समय और धन लगता है। फिर भी कंपनियों को अन्य कंपनियों के विलय और अधिग्रहण ही जरूरत क्यों पड़ती है? यहां इसके कुछ कारण दिए गए हैं :-

बड़े पैमाने की किफायती : यह तब होता है जब विलीयन संस्था का वर्धित आकार वृहत्तर लाभ देता है। यह परिचालन मार्जिन और (कार्य) कुशलता बढ़ाने में सहायता देता है।

रणनीति : विलय और अधिग्रहण उस समय की अपेक्षा रणनीतिक रूप से अधिक प्रेरित होते हैं, जब वे 1980 के और 1990 के दशक में प्रतिस्थानी थे। इन लेनदेनों के परिणामस्वरूप, रोजगार पैदा किए जा रहे हैं, समाप्त नहीं। कंपनियाँ इस विश्वास



के विपरीत बनाई जा रही हैं कि यह प्रतिस्पर्धा तोड़ने के लिए किया जा रहा है।

मूल्य : लेनदेन के पीछे वित्तपोषण इतना ठोस और सुरक्षित है जितना की पहले कभी नहीं था। भारतीय कंपनियां (रोकड़ की दृष्टि से) धनवान हैं। अपने तुलन-पत्रों के साथ, भारत लेनदेन से भी आगे, भारी मात्रा में धन उधार ले सकता है और इसके बाद ऋण को तेजी से चुकाने के लिए पश्चात्कर्ती लेनदेन के प्रतिफल का उपयोग कर सकता है।

उद्योग की प्रवृत्तियां : इनमें तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी, भीषण प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता के बदलते, अधिमान, लागतों को नियंत्रण में रखने का दबाव (जैसे की स्वास्थ्य सेवाओं में) और मांग को कम करना (जैसे कि विमान और प्रतिरक्षा अनुबंधों में)।

कंपनी की पहचान को रूपान्तरित करने की जरूरत : कंपनियां किसी बेहतर व्यवस्थित फर्म के साथ सुयोजन करके एक नई छवि बनाना अथवा अर्जित करना चाह सकती हैं। यह उसके रिकॉर्ड पर लगे पूर्व धब्बों को मिटा सकती हैं। यद्यपि, एक नई शुरुआत संभव नहीं है, तथापि, यह तरीका फिर से शुरू करने के लिए एक मंच हो सकता है।

निवल ब्याज का मार्जिन एवं लगात : अति आधुनिक एवं आद्वितीय प्रौद्योगिकी आयात करने की बजाय खरीदना अथवा ऊर्जा के नए स्रोतों तक पहुँचना, बहुत से मिश्रित नए उत्पाद तैयार करना, आदि बहुत से नवीनतम अधिग्रहण और विलय के लेनदेन में देखा गया है।

एक अंतराष्ट्रीय उपस्थिति बनाना और मार्केट शेयर बढ़ाना : बाज़ार में प्रवेश की यह रणनीति प्रायः साधारण से एक वैश्विक आधार बनाने की कोशिश की अपेक्षा अधिक लागत प्रभावी होती है। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं और औषधीय उत्पादों जैसे अपने बाज़ारों की तलाश कर रहे भारतीय बहुराष्ट्रीय निगमों ने पर्याप्त रूप से बाध्य निवेश के जरिए प्राप्त किया।

प्रतियोगी रहते अथवा आवर्तक बाज़ार की प्रवृत्तियों का प्रतिकार करते : खुदरा, आतिथ्य, भोज एवं पेय पदार्थ (बवीरेज), मनोरंजन और वित्तीय सेवाएं उद्योग ने विलय एवं अधिग्रहण "एक जगह रूक कर खरीदारी" के लिए उपभोक्ता की मांग के प्रत्युत्तर में किए। सर्वाधिक आवश्यक लाभ, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बाहरी निवेश व्युत्पन्न करती हैं, यह वर्धित प्रतियोगितात्मकता है। यह स्थानीय कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शांखिका को एक प्रतियोगी बाज़ार में उत्तर जीवित रहने में मजबूत करती है।

निवेश : प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के क्षेत्रों में बाद के 1990 के दशक के प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावों की गूँज ने विलय एवं अधिग्रहण, इनके लिए रखी नकदी के उन्माद के योगदान किया था और विक्रेता लेनदेन में मुद्रा के रूप में क्रेता का स्टॉक लेने की और इच्छा करने लगे।

इसी प्रकार से, यहां ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत करणों से भी विक्रय करना चाहती हैं :-

- क. प्रबंधन अनुक्रमण का अभाव।
- ख. परिवर्तन अर्थात् प्रौद्योगिकी के साथ चलने में असमर्थता।
- ग. विनियामक सरोकार/दबाव और
- ग. अत्यधिक मूल्य पर भुनाने के लिए अनुभूत अवसर।

लेनदेन करने से पूर्व बहुत आधारभूत कार्य करना पड़ता है। इसमें भावी लक्ष्य/भागीदार, कंपनीगत आंकलन, बाज़ार का आकलन, प्रौद्योगिकीय निर्धारण, सांस्कृतिक आकलन के अतिरिक्त, विधिक एवं विनियामक कार्यवाही शामिल है।

इच्छुक पक्षकार उन विशेषज्ञों की सहायता ले सकते हैं, जो प्रस्ताव घोषित करते हैं और कठिन कार्य के सूक्ष्म विवरण को विचार-विमर्श से सुलझा लेते हैं। सम्यक तत्परता, निर्णय, सावधानी और बुद्धिमानी का स्तर होता है जिससे किसी व्यापार प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए किसी संस्था से उपयुक्त रूप में आशा की जाएगी। विलय और अधिग्रहण में सम्यक तत्परता एक जटिल तत्व होती है। यह विक्रेता द्वारा प्रदत्त वास्तविक तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करना चाहती है। इसलिए, अधिग्रहणकर्ता को सूक्ष्म किन्तु भूमिगत विवरणों को पहचानने का अवसर मिलता है जो व्यापार पर रखे गए संभावित मूल्य पर संघात करेगा।

यह गतिविधि मुख्य प्रवृत्तियों/लक्षणों की प्रमुख विशेषताएं बताकर लक्ष्य का सही आँकलन उपलब्ध कराती है, प्रतियोगिता की प्रच्छन्न धमकियों/ देनदारियों को सामने लाती हैं, संभावित अधिग्रहणकर्ताओं को सूचित निर्णय कर सकने के लिए पर्याप्त जानकारी का प्रकटीकरण सुनिश्चित करती है और एक उचित मूल्य अवधारित करती हैं जो सभी संबद्ध पक्षकारों के लिए संतोषजनक होता है।

प्रबंध कर्मचारी जो कुछ प्रभावी रूप से जारी करता है, यह विलय एवं अधिग्रहण की सफलता के लिए जटिल होता है। कर्मचारी के प्रसुविधा संबंधी कार्यक्रम बार-बार वित्तीय संघात के



शीर्ष दो अथवा तीन क्षेत्रों में है तथा पेंशन, स्वास्थ्य रक्षा एवं स्टॉक योजनाएं किसी सीमा पर विलय, अधिग्रहण अथवा विक्रय के कुछ सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से हैं। इन योजनाओं का निधिकरण, लेखाकन और संरचना में बहुत से देशों में प्रयाप्त अंतर पाया जाता है। यह विचलन अधिग्रहण प्रक्रिया में भ्रांतियां पैदा कर सकता है और अधिक गंभीरता से लें तो उन खर्चीली गलतियां करने की ओर ले जा सकता है। प्रभावी वित्तीय सम्यक तत्परता, भारी-भरकम बातचीत तथा सावधानीपूर्वक नियोजित उत्तर-अधिग्रहण एकीकरण इन जोखिमों को हल्का करने की कुंजी है।

व्यापक सार्वजनिक विषयों का भी लेनदेन की सफलता अथवा विफलता पर भारी संघात होता है। किसी विलीन संगठन में तेजी से, सही व्यक्तियों का सही भूमिका के लिए मिलना, सांस्कृतिक मतभेदों का प्रबंधन और सभी प्रतिकार को प्रभावी रूप से एक करना, प्रसुविधाएं तथा मानव संसाधन संबंधी कार्यक्रम अधिग्रहणों के विघटन को कम करने की सहायता का कारण बन सकती है। मानव संसाधन संबंधी वितरण प्रणालियों का एकीकरण और सबसे ऊपर, शुरू से ही कर्मचारियों के साथ प्रभावी संप्रेषण भी एक सफल लेनदेन के प्रमुख तत्व होते हैं।

यह प्रक्रिया अत्यधिक सावधानीपूर्वक किए जाने की जरूरत है क्योंकि यहां ऐसे उद्यमियों के बहुत से उदाहरण हैं, जिन्होंने विलय और अधिग्रहण किया है और यह कि उन्होंने बाद में एकीकरण की समस्याओं के संभावित उत्तर-समापन पर वास्तविक रूप से दृष्टिपात करने के लिए पर्याप्त नियोजन का अभाव और विफलता जैसी संतुलित भूल के कारण खेद व्यक्त किया है।

क्रेता और विक्रेता के बीच अपर्याप्त संप्रेषण बहुत से निर्णायक तथ्यों को समझने में भ्रांति पैदा कर सकता है और सम्पूर्ण परियोजना को एक विफलता मानकर समाप्त कर सकता है।

आधार को और स्पष्ट किए जाने की जरूरत है, यदि वर्धित गतिविधि सही है जिसे अर्थव्यवस्था देख रही है। उद्योग ने उन निजी स्वामित्वाधीन कंपनियों, जिनमें 49 प्रतिशत से परे मतदान की शक्ति है, पर अन्य प्रतिबंध लगाकर और कर संबंधी कानूनों

में संशोधन करके स्वदेशी कंपनियों के लिए विलय और अधिग्रहण की जरूरत बताई है। वर्ष 2007 उत्तम लेनदेन (सुपर डील्स) का वर्ष था। इस समय लगभग 40 मिलियन यूएस डॉलर अर्थात् पूरे 2006 वर्ष में दोहरे मूल्य पर और जब तदनुसूची अवधि से तुलना की गई, तब 10 गुणा। 2007 के पहले दो महीनों में लगभग 40 यूएस डॉलर मिलियन के किए जा रहे लेनदेन में, वैश्विक अधिग्रहण लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर के थे जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 11-13 प्रतिशत था। विदेशी कंपनियों के लिए इस अचानक बड़ी मांग पर हालांकि, उन बाजारों में बहुत अच्छा स्वागत नहीं हुआ है जो इस लेनदेनों पर अभी तक शक के नजरिए से देखते हैं। शेरों का मूल्य ऊपर बढ़ने की बजाय कम हो गया है। संभवतः यहां कोई ऐसा विचार है कि कंपनियों का अधिग्रहण करने में उससे अधिक धन लगा दिया है, जितना उन्हें अपने अधिग्रहण में लगाना चाहिए था।

अब यह केवल भारत के विलय और अधिग्रहण की गतिविधि का क्षेत्र बन जाने से पूर्व अनुमान करने का विषय प्रतीत होता है। सर्वोत्तम और सबसे तेज मस्तिष्क के लिए उपलब्ध है। तथापि, भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाया है और अभी हाल में ही कुछ देशों के निवेश पर सिक्क्यूरिटी भी बढ़ाई है। किन्तु वैश्वीकरण द्वारा अधिदेशित - सीमा पार के विलय व्यावहारिक रूप से रुकने वाले नहीं रहे हैं, यद्यपि कब, कैसे और कहां में अंतर हो सकता है।

आज तब का सर्वाधिक सार्थक विलय पांच महीनों के संघर्ष के बाद, आर्सीलर के लिए लक्ष्मी निवास मित्तल की 25.8 बिलियन यूरो (17.7 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग), (32.2 बिलियन यूएस डॉलर) की बोली है। इस लेनदेन ने संसार का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बना दिया है। संयोजित कंपनी लक्समबर्ग में है और आर्सीलर मित्तल कहलाती है। विलय ने एक विशाल उद्योग कायम किया है और संसार के इस्पात बाजार का 10 प्रतिशत नियंत्रण करता है। इसके साथ जापान के निप्पॉन स्टील, जो कि उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है, के उत्पादन से तीन गुणा अधिक उत्पादन करता है।

यह सौदा भारत के लिए गर्व का विषय है क्योंकि लक्ष्मी निवास मित्तल एक अनिवासी भारतीय हैं, जो ब्रिटेन में रहते हैं।



कन्या भ्रूण हत्या और घटती स्त्री जनसंख्या



—रंजन कुमार बरून

जनसंख्या के ताजा आंकड़ों ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि देशमें बेटियों की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। अब स्त्री और पुरुष के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जनसंख्या असंतुलन का मुख्य कारण है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का कारण है हमारी परंपरागत सोच? बेटा नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा। बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। चिता में आग कौन लगाएगा। बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनता है कि नहीं। बेटे बेटे से कहीं ज्यादा बुजुर्गों की देखभाल के लिए भले आगे आती हो लेकिन उसे तो दूसरे घर जाना है वह तो दूसरे के आंगन का बिरवा है भगवान न करे बेटे के घर का पानी पीना पड़े यह सोच 21वीं सदी के भारत में उसी प्रकार जाते हैं जैसे कि परंपरागत प्राचीन भार में थी। बेटे चाहे कल्पना चावला होकर अंतरिक्ष में जाए या संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधि बनने वाली पुलिस अधिकारी किरण बेदी हो। या फिर एवरेस्ट विजय करने वाली ???

बढ़ती शिक्षा और टूटते संयुक्त परिवार के दौर में अब परिवार रखना तो लोगों को समझ आने लग गया है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार (न्युक्लियर फैमिली) और सिंगल पैरेंट जैसे शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं लेकिन बेटा हो या बेटे दोनों में कोई अंतर नहीं है यह सोच विकसित होने की बजाए बेटा ही चाहिए की सोच बढ़ रही है। परिणाम यह हो रहा है कि बेटे को जन्म लेने से पहले उसकी हत्या खुले आम की जा रही है। भ्रूण हत्या के उस प्रयास में विज्ञान के आधुनिकतम संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है जीवन रक्षा की शपथ लेने वाले डॉक्टर पैसों के लोभ में जघन्य कार्य को खुले आम कर रहे हैं। मां के गर्भ में बेटे की हत्या रोकने के जघन्य काम को रोकने के लिए कानून तो बने है लेकिन उन कानूनों का पालन कौन करता है। पहले तो उस तरह के मामले दर्ज ही नहीं किए और हुए भी तो अदालतों की लंबी प्रक्रिया में उलझा कर फाइलों में ही दम तोड़ देते हैं और अदालतों में विचाररहीन मामलों को एक आंकड़ा बनकर रह जाते हैं। 21वीं शताब्दी मानव अधिकार की चर्चा और उनकी रक्षा के लिए गंभीर चर्चाओं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और उनमें

प्रस्ताव पारित करने की शताब्दी के रूप में उभर रही है। भारत और भारत के विशेषज्ञों को उस क्षेत्र में महारत हासिल है बढ़चढ़ कर चर्चाएं हो रही हैं नई नई परिभाषाएं विकसित और उद्विग्न की जा रही हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं जन्म के पहले की बेटे की हत्या उसके जीवन के अधिकार नहीं जीवित पैदा हीनहीं हो पाने का अधिकार का उल्लंघन है या नहीं उस पर चर्चा ही हो रही है। उसे रोकने के प्रयास पूरी तरह अप्रभावकारी हो रहे हैं। बल्कि इस घृणित प्रवृत्ति को खुले आम बढ़ावा मिल रहा है।

जनसंख्या के ताजा आंकड़े यह साबित करने के लिए प्रयाप्त हैं कि देश में स्त्री और पुरुष के बीच का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है साल दर साल इस में बढ़ोत्तरी हो रही है। वैज्ञानिक जांचों ने साबित किया है कि प्रकृति ने पुरुषों की तुलना में स्त्री को ज्यादा मजबूत बनाया है। आंकड़ों ने प्रमाणित किया है कि पुरुषों की तुलना में स्त्री की औसत आयु कहीं ज्यादा है भले ही पुरुष की तुलना में स्त्री को कमजोरा माना जाता हो। आंकड़ों के अनुसार अधिकतर देशों में 1000 पुरुष की तुलना में स्त्री की संख्या 1050 है यानी ईश्वर ने हर पुरुष के लिए एक स्त्री की व्यवस्था की है। लेकिन भारत में आंकड़े उसके उलटे हैं। जनसंख्या के 2001 के आंकड़ों उसके विपरीत स्थिति को साबित करते हैं। हम यत्त नारयस्तु पूज्यते रमते तत्व देवता यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं कि धारण में विश्वास करने का दावा करते हैं लेकिन 2001 की जनसंख के आंकड़े बनाते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां स्त्री और पुरुष के बीच का जनसंख्या संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। यहां कि हजार पुरुष के पीछे सिर्फ 933 स्त्रियां रह गई हैं।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रीगनेंसी एक्ट 1971 में बनाया इस कानून को गर्भवती महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसके तहत देश में गर्भपात को आसान बना दिया गया था। इस कानून को बनाते समय यह सोचा गया था कि भ्रूण की तुलना में मां का जीवन अधिक मूल्यवान है। गैर कानूनी तरीके से चोरी छिपे गर्भपात कराए जाने के कारण मां के जीवन को ज्यादा



खतरा होता है। इस कानून से यह व्यवस्था की गई थी कि यदि शारीरिक मानसित स्वास्थ्य या मानवीयता के आधार पर जरूरी हो तो गर्भपात कानूनी तरीके से लिया जा सकता है। इसके पीछे यही विचार था कि सुरक्षित तरीके से कानून गर्भपात कराया जा सके।

एकटीपी एक्ट के प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि पांच परिस्थितियों में गर्भपात कराया जा सकता है ये परिस्थितियां हैं जबकि बच्चे के पैदा होने से मां शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो। पैदा होने वाले बच्चे को गंभीर शारीरिक मानसिक विकलांगता का खतरा हो, बलात्कार के कारण गर्भ ठहराया हो, मां की सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो कि वह अपने बच्चे का लालन पालन कर पाने की स्थिति में नहीं हों। और पांचवां परिवार नियोजन के साधनों की खराबी के कारण गर्भ रह गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कानून बनाने वालों ने मां को कानूनी तरीके से गर्भपात करवाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए थे। लेकिन कानून ने मां को यह अधिकार दिया था कि वह तय करे कि वह अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है कि नहीं। एमटीपी के लिए मां कल लिखित रजामंदी अनिवार्य कर दी गई थी। 8 साल से कम आयु की गर्भवती के लिए उसके गार्जियन की लिखित मंजूरी होना जरूरी है। यदि गर्भवती मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो 18 साल से अधिक आयु की भी स्त्री का गर्भपात करने के पहले उसके गार्जियन की लिखित मंजूरी जरूरी है।

यह कानून करी पिछले तीस साल से लागू है। अनुमानतः देश में हर साल 60 हजार एमटीपी के रजिस्टर्ड केसेज होते हैं लेकिन जानकारों का कहना है कि देश में कुल होने वाले गर्भपातों का यह दस प्रतिशत भी नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि अभी लोगों में गर्भपात के प्रति सोच वहीं की वहीं है। गर्भवती हो जाने के लिए मां को दोषी माना जाता है और लोग चुपचाप ही गर्भपात करवाते हैं जो कि मां के जीवन के लिए घातक होता है।

बात यही खत्म नहीं होती है बल्कि यहां से शुरू होती हैं परिवार में बेटा आए घर के आंगन में पोते खेले की भावना इतनी गहरी है कि बेटे को होने के पहले ही गर्भपात करवा देने को एक तरह की सामाजिक स्वीकृति और एक तरह का नैतिक समर्थन मिला हुआ है। बेटे का पता लगने पर गर्भ गिरवाने को एक सामाजिक परंपरा का रूप दे दिया गया है और वास्तव में इसे

अपराध की नजर से देखा ही नहीं जाता। जब बेटे को जन्म लेने के पहले या जन्म लेते ही मार दिए जाने या कूड़े दान में मरने के लिए डाल दिये जाने को सामाजिक अपराध माना ही नहीं जाता तो उसे पुलिस या कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जानकारी में लाए जाने का सवाल ही नहीं उठता आज विज्ञान की प्रगति और अल्ट्रासाउंड मशीनों की खोज ने भी भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है।

अल्ट्रा साउंड की सारी मशीनों का कानून के लिहाज से आवश्यक रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया गया है। जहां रजिस्ट्रेशन किया गया है वहां इनका कैसे इस्तेमान किया जा रहा है पर नजर रखने की बजाए यह व्यवस्था कमाई का एक और जरिया बनकर रही गई है और बेटियां कम होती जा रही हैं और वर्तमान हालात जारी रहे तो आने वाले दशकों में यह असंतुलन और बिगड़ता जाएगा। क्या बेटियों को जन्म लेने के पहले या जन्म लेते ही मौत घाट उतार देने का यह नंगा नाच रोका जा सकता है। यह बात हर घर में समझी और समझाई जानी होगी कि बेटे भी बेटों की तरह अपने पैरों पर खड़ी होने में सक्षम है। मौका पड़ने पर वह भी बूढ़े बाप कीबेटे से भी बढ़कर सेवा और मदद कर पाने में सक्षम है। उसे जन्म लेने फलने फूलने और आगे बढ़ने के समान अवसर पाने का हक है। इसके साथ ही बेटे बोझ है, सोच को बदलना होगा। बेटे का जन्म के पहले या जन्म के बाद हत्या एक अपराध है। डॉक्टर और चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय संगठन इस भयंकर सामाजिक बुराई को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह बुराई बिना मेडिकल की दुनिया से जुड़े लोगों की मदद रूक नहीं सकती। डॉक्टरों नर्सों और मेडिकल की दुनिया से जुड़े लोगों के संगठनों तथा प्रिंट और इल्ट्रानिक मीडिया को इस क्षेत्र में आगे आकर काम करना होगा। उनके लिए स्त्री केवल विज्ञापन की वस्तु के रूप में ही दिखाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जाग्रत होना होगा। पत्रकारों और विज्ञापन एजेंसियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति और जागरूक होना होगा और दूसरों को जगाना होगा। क्योंकि अंत में बैबी को जन्म देने वाली भी स्त्री है और उसके गर्भपात के लिए प्रेरित करने वाली और जन्म के कुछ ही घंटों में मौत के घाट उतारनेवाली भी स्त्री ही होती है? यदि कन्या भ्रूण हत्या की यही दर जारी रहेगी तो बेटों को बहू कहाँ से मिलेगी और सब बहू नहीं होगी तो ओ की पीढ़ी भी नहीं होगी। जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। अपने पैरों पर हम स्वयं कुल्हाड़ी चला रहे हैं।



नई विश्व भाषा - ग्लोबिश

—राकेश कुमार



सहायक निदेशक (राजभाषा)

यह सर्ववित्तिद है कि इंग्लैंड में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है और फ्रांस में बोली जाने वाल भाषा फ्रेंच है। फ्रेंच बोलने वाले 85 प्रतिशत लोग फ्रांस में ही रहते हैं। ये लोग ही फ्रेंच के सही जानकार है और फ्रेंच भाषा के सही और गलत प्रयोग के बारे में अधिकारपूर्वक बता सकते हैं। लेकिन यह स्थिति अंग्रेजी के बारे में नहीं है। अंग्रेजी भाषा स्कॉटलैंड में भी बोली जाती है, आयरलैंड में भी और वेल्स में भी। इन तीनों क्षेत्रों की अंग्रेजी में बहुत अंतर है। यानि इंग्लैंड में बोली जाने वाली अंग्रेजी में भी एकरूपता नहीं है। ऐसी स्थिति में, हम विश्व के अनेक देशों में बोली जाने वाली अंग्रेजी की एकरूपता की कल्पना भी नहीं कर सकते।

विश्व के प्रत्येक देश में बोली जाने वाली अंग्रेजी वहां के स्थानीय प्रभाव से बच नहीं सकी हैं और ऐसा होना संभव भी नहीं है। वस्तुतः आज अमेरिका में बोली जाने वाली अंग्रेजी, मूल ब्रिटिश अंग्रेजी से बहुत भिन्न है। अमेरिकी अंग्रेजी में अनेक प्रयोगों में शब्दों की स्पैलिंग को भी संक्षिप्त रूप प्रदान किया गया है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में रंग के लिए Colour और अमेरिका में Colour तथा कार्यक्रम के लिए इंग्लैंड में PROGRAMME और अमेरिका में PROGRAM स्पैलिंग का प्रयोग किया जाता है। यानि जिन अक्षरों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में अनेक देशों में अंग्रेजी का प्रभाव अधिक ही है। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के अधिकतर देशों पर रहा है। ऐसे देशों में अंग्रेजी अभी भी बहुतायात से बोली जाती है जिसमें भारत भी एक है।

यह वर्तमान संदर्भ में बहुत हद तक सत्य है कि अंग्रेजी से दुनियाभर में संपर्क साधा जा सकता है। दुनियों में संप्रेषण की भाषा, व्यापार की भाषा, संचार की भाषा अंग्रेजी ही है। अपवादस्वरूप फ्रांस, कोरिया और जापान जैसे देशों को छोड़कर। हालांकि सीमित रूप में अंग्रेजी वहां भी बोली जाती है। चीन, जापान, आदि देशों में बोली जाने वाली अंग्रेजी इंग्लैंड और अमेरिका में बोली जाने वाली अंग्रेजी से भिन्न है और यहाँ के लोगों की अपनी सीमाएं भी हैं। वे लोग अंग्रेजी बोलते तो हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से नहीं और न ही सहज रूप में। उनके लिए अंग्रेजी पराई भाषा ही रहती है। गैर-अंग्रेजी भाषी लोग जब

अंग्रेजी बोलते हैं तो उन्हें परेशानी होनी स्वाभाविक ही है, चाहे वह फ्रांस में हो, चीन में हो या कोरिया अथवा भारत में।

ऐसे ही लोगों की अंग्रेजी की सीमाओं और दिक्कतों को देखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की जरूरत महसूस की गई। एक ऐसी भाषा जो पूरे विश्व में समझी जा सके और जिसे बोलने में किसी को कोई दिक्कत न हो। साथ ही साथ, वह किसी भी प्रकार के स्थानीय प्रभाव से मुक्त भी हो, ग्लोबिश का उद्देश्य इन्हीं सीमाओं को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करके आपसी संवाद की एक नई शैली का विकास करना है।

फ्रांस के डॉ. पॉल नेरियेर ने इस दिशा में सक्रिय कार्य करने का बीड़ा उठाया है। यह नए किस्म की अंतर्राष्ट्रीय कामकाजी अंग्रेजी है जिसे ग्लोबिश नाम दिया गया है। यह भाषा केवल 1500 शब्दों में सिमटी हुई है और डॉ. नेरियेर का दावा है कि यह इंग्लैंड में बोली जाने वाली मूल अंग्रेजी, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का दावा करती है, का दबदबा समाप्त कर देगी।

डॉ. नेरियेर ने अस्सी के दशक में आईबीएम के साथ काम करते हुए मार्केटिंग के लिए अपने देश-विदेश के दौरों के दौरान गैर-अंग्रेजी भाषी लोगों की कठिनाइयों को महसूस किया और वे गंभीरता से अंग्रेजी के एक विकल्प के रूप में एक सरल, सुबोध और अंतर्राष्ट्रीय कामकाजी भाषा तैयार करने में जुट गए। इसके प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने "DONT SPEAK ENGLISH PARLEZ GLOBISH" ROGRAM और DECONVERES LEGLOBIST नामक दो पुस्तकें भी लिखीं। बहुत कम समय में ही युरोप के अनेक गैर-अंग्रेजी भाषी देशों में यह भाषा लोकप्रिय होने लगी। डॉ. नेरियेर की पुस्तकों का कई भाषाओं (इटैलियन, स्पैनिश और कोरियन) में अनुवाद हो चुका है। जापानी भाषा में इस पर काम चल रहा है। इन भाषाओं के शब्दकोश भी तैयार हो गए हैं। यहां तक कि "“वाँयस ऑफ अमेरिका” के कुछ बुलेटिन भी ग्लोबिश में प्रसारित होने लगे हैं।

अब प्रश्न यह कि ग्लोबिश है क्या? ग्लोबिश वस्तुतः मूल अंग्रेजी का ही व्यवस्थित और कामकाजी रूप है। कुछ लोग इसे डिकैफिनेटेड या लाइट अंग्रेजी भी कहते हैं। वास्तव में यह अंग्रेजी



की ही सटीक और व्यवस्थित फॉर्म है। इसके सभी शब्द और ग्रामर भी अंग्रेजी के ही हैं। यहां तक कि अंग्रेजी-भाषी लोग इसे पढ़कर अथवा सुनकर कोई अंतर नहीं निकाल सकते। मूल अंतर यही है कि इसमें से कुछ गैर-जरूरी अथवा कम जरूरी चीजों को निकाल दिया गया है। जैसे अंग्रेजी में कुछ टेंस में (काल) विशेष क्रिया रूपों की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ - आई हैव बीन राइटिंग ए लैटर” के स्थान पर “आई वर राइटिंग ए लैटर” भी लिखें, तब भी काम चल जाता है। अर्थात् यहां “हैव बीन” की आवश्यकता नहीं है। ग्लोबिश भाषा के वाक्य सदैव छोटे-छोटे ही होते हैं। इसमें “हू”, “हूम”, “व्हिच” जैसे शब्दों और पंचचुएटेड शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता; बल्कि उनके स्थान पर “पंचचुएशन मार्क्स” का प्रयोग किया जाता है।

कुछ लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि ग्लोबिश संभवतः “यू सिट, आई गो” जैसी भाषा है। परन्तु यह सत्य नहीं है। इसमें तो अंग्रेजी के 1500 ऐसे शब्दों को लिया गया है जिनका प्रयोग पूरे विश्व में सामान्यतः होता है तथा पूरे विश्व में इन्हीं सीमित शब्दों के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपनी बात सहज तथा स्वाभाविक रूप से कह सकता है उदाहरणार्थ, प्लांट, लीड, एक्शन, इंपैक्ट, ट्रस्ट, ड्यूटी, कॉमर्स, टूर, बिजनेस, इत्यादि शब्दों के अनेक अर्थों और विभिन्न संदर्भों में इनके प्रयोगों के माध्यम से ग्लोबिश भाषा तैयार की गई है।

ग्लोबिश की विशेषता यह है कि यह लोगों के मन से अंग्रेजी नहीं जानने की कुंठा को दूर कर देती है। केवल 1500 शब्दों के माध्यम से आप अपनी बात भली-भाँति व्यक्त कर सकते हैं और यह भय खत्म हो जाता है कि आप अंग्रेजी में अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ और ट्रिक्स के माध्यम से बिन

अंग्रेजी ज्ञान बढ़ाए यह आपको लोगों के साथ संप्रेषण स्थापित करने में मदद करता है। यह आपकी भाषा को मूल अंग्रेजी से अलग और अधिक प्रोडक्टिव बनाती है।

भारत के अनेक स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। अनेक भाषाओं वाले यूरोप में ही नहीं, भारत में भी अंग्रेजी के समय से ही संप्रेषण के लिए एक सर्वमान्य और सर्वग्राह्य भाषा की जरूरत रही है। अंग्रेजी तो भारत पर वैसी भी थोपी गई भाषा है। दुर्भाग्य कहे अथवा वर्तमान परिस्थितियां कि हमने इसे बड़े उत्साह के साथ माथे पर बिठाया तथा इसके लिए अपनी सर्वसक्षम तथा समृद्ध हिन्दी की भी अवहेलना कर दी। ऐसे में यदि ग्लोबिश, अंग्रेजी का स्थान ले लेती है तो भारत मानसिक रूप से भाषा की गुलामी का जुआ उतार फेंकेगा और अंग्रेजी न जानने की कुंठा से भी उबर सकेगा। ग्लोबिश चूंकि अंग्रेजी का ही छोटा रूप है तथा इसमें व्याकरण की जटिलता भी नहीं है, अतः इसे सीखना भी आसान है। जैसे भी भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोग 4-5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हैं। ऐसे में एक नई सरल और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को कौन नहीं अपनाना चाहेगा?

वह दिन दूर नहीं जब इंग्लैंड के महज 12 प्रतिशत मूल अंग्रेजी-भाषी लोग भी समझेंगे कि भविष्य में ग्लोबल मार्केट केवल अंग्रेजी के भरोसे नहीं चलने वाली। उन्हें इससे सहमत होना ही होगा कि विश्व में व्यवहार और व्यापार की भाषा के लिए उन्हें अपनी अंग्रेजी को आवश्यकतानुसार एडजस्ट करना ही होगा और यही एडजस्टमेंट वर्तमान में हमारे समक्ष ग्लोबिश भाषा के रूप में सामने आया है। तब अंग्रेजी केवल पुरानी संस्कृति अथवा क्वालिटी लैंग्वेज के रूप में ही रह जाएगी और अंग्रेजी के बल पर गर्व से अपना सिर ऊपर करके चलने वाले कुछ प्रतिशत का भाषा के क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त हो जाएगा।

अभिलाषा

प्रस्तुति : राकेश, सहायक निदेशक

थामना चाहता हूं,
हर पल को अपनी आगोश में,
भीगना चाहता हूं,
सुख की हर एक लहर में,
भटकना चाहता हूं,
अजाने सहरा के,
हर अनदेखे रास्ते पर।
पकड़ना चाहता हूं,
समय की रेत को,
अपनी मुट्ठी में,

और जीना चाहता हूं,
श्रेष्ठतम क्षणों को
अपनी सांस में।
मगर-
क्षणभंगुर जीवन ने,
कब किसे अवसर दिया है?
क्या यही है जीवन?
होने और चाहने की कशमकश
में पिसती
आदमी की नियति।

आह!
क्यों न सब कुछ ठहर
जाए, और चलता रहे,
आकांक्षाओं का,
अनवरत काफिला।
यथार्थ की पथरीली जमीन पर,
क्या उग सकेगी कभी,
अभिलाषाओं की
पुष्पित पल्लवित फसल?



कुछ देशी नुस्खे



—विजय कुमार

ज्ञान केन्द्र

प्याज

- ❖ कान में प्याज का रस गर्म करके टपकाने से कान का दर्द तुरन्त दूर जा जाता है।
- ❖ रात जाक एक प्याज भूनकर नित्य खाने से पुट्टे पुष्ट होते हैं और नींद अच्छी आती है।
- ❖ बच्चे अकसर खेलते-कूदते समय गिर जाते हैं और उन्हें चोट आ जाती है। प्याज और हल्दी पीसकर किसी कपड़े के टुकड़े में रखकर सेंककर बाँध दें या पोटली बनाकर सेंके।
- ❖ बेहोशी की दशा में मरीज को प्या सुंघाइए। बेहोशी दूर हो जाएगी। यदि बच्चों को कब्ज हो तो उन्हें प्या का रस गर्म करके पिलाइए।
- ❖ नींबू के रस में प्याज और पुदीने का रस मिलाकर पीने से हैजे में बहुत लाभ पहुँचता है।
- ❖ नमक और प्याज पीसकर, बाँधने से फोड़ा पककर फूट जाता है।
- ❖ यदि आपको धूप में यात्रा करनी हो तो प्याज खाकर जाइए। प्यास कम लगेगी।
- ❖ प्याज का रस, हींग और काला नमक सेवन करने से पेट-दर्द ठीक हो जाता है।
- ❖ करीब पाँच तोले प्याज का रस, एक तोला मिश्री में मिलाकर दिन में दो बार लेने से बवासीर में लाभ होता है।
- ❖ यदि सुबह-शाम प्याज का रस शहद के साथ लिय जाए तो प्रमेह प्रदर रोग दूर हो जाते हैं।
- ❖ श्वास के रोगी को प्याज के रस के सेवन से बहुत आराम मिलता है।
- ❖ प्याज के रस को सलाई से आँखों में लगाने से ज्योति बढ़ती है।

- ❖ बन्दर के काटने पर शहद और प्याज पीसकर घाव पर लेप कीजिए।
- ❖ मधुमक्खी के काटने की जगह पर प्याज का रस लगाने से जल्दी आराम होता है।
- ❖ प्याज के रस में नमक, काली मिर्च और पुदीने को पीसकर थोड़ा पानी मिला लें। गर्मियों में घर से बाहर निकलने से पहले इस मिश्रण की चार चम्मच पीने से लू नहीं लगती।

बेल

- ❖ आँव होने वर बच्चे बेल को आग में पकाकर उसके गूदे को गुड़ अथवा मिश्री के साथ रोगी को खिलाना चाहिए।
- ❖ यदि बच्चे की आँखे फूली हों, तो बेल के पत्तों का रस लगाने से लाभ होता है।
- ❖ कब्ज को दूर करने के लिए पका हुआ बेल खाना चाहिए।
- ❖ गले में दर्द होने पर बेल का गूदा खाने से लाभ होता है।
- ❖ किसी भी प्रकार की दस्त क्यों न हो, कच्चे बेल का गूदा और आम की गुठली दोनों को पीसकर काढ़ा बना लें और चीनी अथवा शहद मिलाकर खाएँ, अवश्य लाभ होगा।
- ❖ मुँह आने पर बेल के गूदे को पानी में उबालकर उससे कुल्ला करना चाहिए।
- ❖ बच्चों की पेचिश में बेल का गूदा और सोंठ पीसकर, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाने से लाभ होता है।
- ❖ शारीरिक पुष्टि के लिए बेल के गूदे को अर्क कुछ दिनों तक नियमित पीने से बड़ा लाभ होता है।
- ❖ आग में पकाकर बेल खिलाने से आमाशय के रोगों में फायदा होता है।



दांतों की मज़बूती के लिए



—डॉ. मनीष कपूर

दंतचिकित्सक

पुत्र श्री वी.के. कपूर (राष्ट्रीय आवास बैंक)

दांतों की मज़बूती के लिए

1. दांतों का साफ और मजबू रहना अत्यंत आवश्यक है। दांत साफ न रहने पर मुंह से दुर्गंध आने लगती है। दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं। धीरे-धीरे मसूढ़े ढीले पड़ जाते हैं तथा इनसे खून भी बहने लगता है। बाद में दांत हिलने व गिरने लगते हैं।
2. भोजन करने या कुछ खाने के बाद अगर मुंह साफ नहीं किए गए तो दांतों के ऊपर एक चिपचिपी परत जम जाती है, जिस पर जीवाणु हो जाते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच में अटके भोजन कणों के प्रोटीन पर जीवित रहते हैं। इसी बीच वे एक प्रकार का अम्ल बनाते रहते हैं, जिस कारण मुंह से दुर्गंध आने लगती है।
3. इसलिए प्रातःकाल के अतिरिक्त दोपहर व रात्रि-भोजन के पश्चात् भी दांत साफ करना अत्यंत आवश्यक है। बल्कि यह ध्यान में रख लेना चाहिए कि प्रातःकाल दांत साफ करने की अपेक्षा रात्रि भोजन के पश्चात् दांत साफ करना अधिक महत्वपूर्ण है।
4. नीम की दांतुन दांत साफ करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। नीम की दांतुन करने से कीड़े भी मर जाते हैं।

दांत निकलवाने के बाद सामान्य सुझाव - आपको क्या करना चाहिए

1. पहले 24 घंटों के बाद, हरेक 1-2 घंटों पर गुनगुने नमक के पानी से कुल्ले करने की सलाह दी जाती है।
2. सूजन से बचने के लिए दांत निकालने के बाद पहले 12 घंटों तक दांत निकालने की जगह, गाल पर बर्फ या ठंडा तौलिया लगाए रखें। ऐसा कम से कम 20 मिनट तक करें। पहले 24 घंटों तक यह प्रक्रिया हरेक आधे घंटे में दोहराएं।
3. ऑपरेशन के बाद बहते खून को रोकने के लिए दांत निकाले गए स्थान पर रुई को दांत से हल्के से दबाए रखें। 45 मिनट तक पर्याप्त दबाव बनाए रखें।

4. अगर कोई टांके निकालने हों, तो निर्धारित दिन पर अपने डॉक्टर से मिलना न भूलें।
5. डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयां लें।
6. पर्याप्त आराम करें।

आपको क्या नहीं करना चाहिए

1. सर्जरी के बाद पहले 8 घंटों तक दांतों को ब्रुश न करें।
2. ज़ख्म को अपनी जीभ से या किसी और क्षारदार चीज से कुरेदकर छेड़खनी न करें, इससे जलन हो सकती है।
3. स्ट्रॉ से तरल चूसकर न पिंए, इससे ज्यादा खून आना शुरू हो सकता है।
4. गरम व मसालेदार खाना न खाएं।
5. जख्म ठीक होने तक धूम्रपान व शराब का सेवन न करें।
6. डॉक्टर को पूछे बगैर दर्द निवारक दवाइयां न ले।
7. कम से कम 24 घंटों तक मुंह को ज़ोर से न धोएं औश्र न ही बार-बार थेंकें।

दांत निकालने के बाद सही खान-पान

1. दांत निकालने या सर्जरी के बाद भोजन करना न चूकें।
2. पहले दिन आइस-क्रीम या दही जैसा ठंडा और नरम भोजन लेना बेहत सुविधाजनक रहता है।
3. यदि आपको ठोस खाना खाने में तकलीफ होती है तो अंडों की भुर्जी, नरम अंडे मसाले या सेकें, गुनगुना वेजीटेबल सूप, अच्छी तरह पकाए गए नूडल्स, हल्के पकाए अन्न की हली खुराक लेना शुरू करें।
4. लगभग 2 दिनों तक निकाले गए दांत के उल्टी तरफ से चबाने की कोशिश करें।
5. यदि आपको मिचली या उल्टी की तकलीफ हो रही है तो अपने दांतों के डॉक्टर की सलाह लें।



भारत के प्रदेश - अरुणाचल प्रदेश



क्षेत्रफल	: 83,743 वर्ग किलोमीटर
राजधानी	: ईटानगर
जनसंख्या	: 10,97,968 (2001 के अस्थायी आंकड़े)
मुख्य भाषाएं	: मोनपा, मिजी अका, शेरदुकपेन, निशी, अपतानी, तगिन, अदी, दिगारू-मिशामी, इदु-मिशामी, मिजु-मिशामी, खामटी, नोकटे, तंगसा और वांचू

इतिहास और भूगोल

अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी (नाथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी-नेफा) के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चिम, उत्तर-पूर्व, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नगालैंड और असम से भी मिलती है। यह राज्य पहाड़ी तथा अर्द्धपहाड़ी क्षेत्र में है और इन पहाड़ियों की ढलान असम के मैदानी भाग की ओर है। कामेंग, सुबनसिरी, सिआंग, लोहित और तिरप नदियां इन्हें अलग-अलग घाटियों में बांट देती हैं।

इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में कोई लिखित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। केवल मौखिक परंपरा के रूप में कुछ साहित्य और अनेक ऐतिहासिक खंडहर हैं जो इस पर्वतीय क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। समय-समय पर की गई खुदाइयों और खोजबीन के परिणामस्वरूप निचले इलाकों से पता चलता है कि ये ईसवी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। इन ऐतिहासिक प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि यह न केवल जाना-पहचाना क्षेत्र था बल्कि जो लोग यहां रहते थे उनका देश के अन्य भागों से निकट संबंध था।

अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी, 1826 को संपन्न हुई यंडाबू संधि के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने से शुरू होता है।

सन 1962 से पहले इस क्षेत्र को नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) के नाम से जाना जाता था तथा संवैधानिक रूप से यह असम का एक हिस्सा था। परंतु इस क्षेत्र के सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहां के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। उसके बाद असम के राज्य की मार्फत यहां का प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन आया। सन 1972 में इसें केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया और इसका नया नामकरण अरुणाचल प्रदेश किया गया। इसके पश्चात् 20 फरवरी, 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बना।

कृषि और बागवानी

अरुणाचल प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या का उद्यम कृषि है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, मक्का, मिलेट, गेहूँ व सरसों हैं। यहाँ उद्योगों की कमी है। अतः अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवनयापन का मुख्य आधार कृषि है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्यतः (झूम) खेती पर आधारित है। जब नकदी फसलों, जैसे-आलू और बागवानी की फसलों जैसे सेब, संतरे और अनन्नास आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। अतः समय बदलने के साथ झूम खेती में कमी आई है और लोग दवाई खेतों को प्राथमिकता देने लगे हैं। सरकार की ओर से हुए प्रयासों को सफलता मिली है।



खनिज और उद्योग

राज्य की विशाल खनिज संपदा का पता लगाने तथा उसके संरक्षण के लिए 1991 में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड (ए.पी.एम.डी.टी.सी.एल) की स्थापना की गई। निगम ने नामचिक-नामफक कोयला क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया है।

शिल्पियों को विविध उद्यमों में प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये प्रशिक्षण संस्थान रोइंग और दपोरिजो में स्थित हैं। बास की पर्याप्त उपज होती है और बांस के विभिन्न उत्पाद एवं फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। उस राज्य में ??आधारित उत्पादों में चलने वाले उद्योगों की भारी संभावना है। अब मध्यम दर्जे के छोटे व मझौले उद्योग स्थापित किए गए हैं जिसमें आरा मिले, प्लाइवुड और ???चावल मिले, फल संरक्षण और दस्तकारी उद्योग भी हैं।

त्योहार

राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदीस लोगों द्वारा मनाए जाने वाले मोपिन और सोलुंग; मोनपा लोगों का त्योहार लोस्सार; अपतानपी लोगों का द्री, तगिनो का सी-दोन्याई; इदु-मिशमी समुदाय का रेह; निशिंग लोगों का न्योकुम आदि शामिल हैं। अधिकांश त्योहारों के अवसर पर पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा है। बलि देने के पश्चात उसके माँस को प्रसाद के रूप में

बाँटा जाता है जिसे लोग कई-कई दिनों तक पकाकर खाते हैं।

पर्यटन स्थल

अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक छटा निराली है और कई सामरिक एवं रक्षा संबंधी कारणों से राज्य में पर्यटन को उतना अधिक बढ़ावा नहीं दिया गया है। लेकिन नई शदी में वैश्विक परिस्थितियों तेजी से बदली हैं और पर्यटन को बढ़ा दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के द्वार भी सभी लोगों के लिए तेजी से खोल जा रहे हैं। उत्तर-पूर्वी दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण है।

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल है - तवांग, दिराग, बोमडिलरा, टीपी, ईटानगर, मालिनीथान, लीकाबाली, पासीघाट, अलोग, तेजू, मियाओ, रोइंग, दापोरिजो, नामदफा, भीष्मकनगर, परशुराम कुंड और खोंसा। यहां ईटाककिले के अवशेष, तबांग के प्राचीन बोद्ध मठ, मालिनीघान व विरमाकनगर के ??केन्द्र औश्र नन्दपा वन्य जीव विहार प्रमुख पर्यटन केन्द्र हैं।

सरकार

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। जहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ की विधानसभा 60 सदस्यों वाली है। अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित हिले ही जिनका क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं ??निम्नानुसार हैं।

जिलों का क्षेत्रफल और मुख्यालय

	जिनस	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	तबांग	2,172	38,924	तबांग
2	पष्ठिचम कामेंग	7,422	74,599	बोमडिला
3	पूर्वी कामेंग	4,134	57,179	सेप्प
4	पापुम परि	2,875	1,22,003	यूपिया
5	लोअर सुबनसिरी (कुरेंग कुमे लिजा सहित)	10,135	98,244	जीरो
6	अपर सुबनसिरी	7,032	55,346	दपोरिजा
7	पष्ठिचम सियांग	8,325	1,03,918	अलोंग
8	पूर्वी सियांग	4,005	89,397	पासीघाट
9	ऊपरी सियांग	6,188	33,363	यिंगकियांग
10	दिबांग घाटी (लोअर दिबांग घाटी सहित)	13,029	57,720	अनीनी
11	लोहित, अन्जाओं सहित	11,402	1,43,527	तेजू
12	चंगलांग	4,662	1,25,422	चंगलांग
13	तिरप	2,362	1,00,326	खोंसा



जनम-मरण से पार



—श्रीमती उमा सोमदेव

क्षे.प्र. बंगलूर कार्यालय

सन् 1977 में जबलूपर-इटारसी रेल लाईन किनारे स्थित दूरभाष केन्द्रों के रखरवाव संबंधित कार्य मेरे पति को सौंपे जाने की वजह से हमें गोटेगाँव, करेली, गाडरवाड़ा, पिपरिया और पचमढी में दो वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रारम्भ में ओशों (आचार्य रजनीश) के दर्शन भी इन्हीं स्थानों पर हुए। कुचवाडा जन्मस्थल से कुछ ही दूरी पर गाडरवाड़ा में ओशो अपने परिवार सहित रहते थे। मैं अपने सामाजिक कार्यों के साथ साथ ओशो के प्रवचन सुनने भी जाया करती थी। आशा की प्रबुद्ध वाणी आदमी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। ध्यान और प्राणायाम की विधियाँ सिखाई जातीं। अपने आप अपने साथ रहने की कला सिखाई जाती। जब एक बार आप यह कला सीख जाते हैं तब किसी और साथी की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दूसरी सारी चीजें छूट जाती हैं। धूम्रपान, मादक द्रव्य पीने की आदत या तंबाखू और गुटखा आदि सब अपने आप छूट जाते हैं। किसी चीज को छोड़ेंगे तो आप उसे दुबारा पकड़ सकते हैं। इसलिए आपका किसी चीज को छोड़ना नहीं है। प्रयास यह करना है कि दुर्व्यसन अपने आप छूट जाएं। सब अपने आप छूट जायेगा तो व्यसन दुबारा लौटकर नहीं आयेगा। ध्यान, प्राणायाम, योग से जीवन के प्रति सहिष्णुता बढ़ेगी। जीवन कितना मूल्यवान है पता चलेगा। ध्यान और

कालांतर में समाधि का अंगीकार आपको अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना सिखायेगा। जिसकी इच्छा शेष है उसी का पुनर्जन्म। जिसकी इच्छा शेष नहीं है उसका जन्म नहीं। अपनी इच्छाओं को समेटो। प्रयास करो कि क्या अपना काम कितने कम से कम चीजों से चल सकता है। यदि आवश्यकता सिमट गई तो विजय आपकी होगी। आप चाह कर भी व्यर्थ धन खर्च नहीं करोगे। नानवेज खाने की चाहत नहीं रहेगी। मन शुद्ध होने लगेगा। शारीरिक शुद्धि के प्रयास प्रारम्भ हो जायेंगे। शरीर, मन, आत्मा शुद्ध होते ही आपको श्रीराम ने क्या रावण में भी भगवान के दर्शन होने लगे। मन के पार पहुँचेंगे। जीवन की आस नहीं होगी और न ही मरने की डर। यह बिल्कुल वह अवस्था होगी, जब आप जनम मरण से पार होंगे। जीवन अपने जीवन में आनंद स्वयं आएगा। यह आपका प्रयास आपको परम सुख देगा। बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय की ओर आप अग्रसर होंगे। बुद्ध और महावीर की वाणी आपको समझ आयेगी। नानक से साक्षात्कार होगा और मीरा से समरस हो कर कबीर को आत्मसात करने में आसानी होगी। हमारी रामायण तभी सार्थक होगी जब आप की सोच जनम-मरण से पर होगी। आज पूरे संसार में ओशो के विचारों की धारा अमृत बरसा रही है। आनंद उत्सव अमृत की धारा-ओशो के सपनों की ओशो की धारा।

विधाता का न्याय



—श्रीमती उमा सोमदेव

क्षे.प्र. बंगलूर कार्यालय

यह एक पूर्णतः वास्तविक घटना है। इस घटना ने मेरे मन को अत्यन्त व्यथित कर दिया और मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को अपनी करनी का फल इसी दुनिया में अवश्य भोगना पड़ता है। मेरी यह कहानी इसी तथ्य को साकार करती है।

एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास युवावसी में ही हो गया था किन्तु उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी संतान का पालन पोषण करती थी। समय गुजरता गया और उसके दोनों बेटे जवान हो गये। अब वह समय आ गया था जिस दिन के एक मां अनेक कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को पाल रही थी। मां ने समना देखा होगा कि एक दिन उसके बेटे जवान होकर उसका सहाना बनेंगे लेकिन शायद उस अंधी मां की किस्मत में पुत्र सेवा का सुख भोगना नहीं था। वृद्धा के बेटे विवाह करके अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए और अपनी मां के त्याग को भूल गए। बुढ़िया मां गांव के जमींदार के खेतों में उसके पशुओं के लिए घास काटती और बदलें में भोजन व थोड़ा सा महनताना प्राप्त कर अपना गुजारा करती। गांव में कोई भी उसे कुछ न कुछ दे देता था। एक दिन अचानक गांव में तेजी से खबर फैली की अंधी दादी चल बसी फिर क्या था तुरंत बहु-बेटों ने उसकी खोली खंगोली और उसके कपड़ों में उसकी जोड़ी हुई थोड़ी सी पूंजी उनके हाथ लग गई जिससे उसका अंतिम संस्कार सम्पन्न हुआ।

इस प्रकार अंधी दादी की कहानी तो यहीं खत्म हो गई किंतु शुरू हुआ उसके बेटों की करनी का ठोल। एक बेटा तो अपनी युवा बेटे के गम के शीघ्र ही चल बसा किंतु दूसरा बेटा अत्यन्त कंजूस प्रवृत्ति का था। वह जीवन भर एक एक पैसा जोड़ कर अपने छह पुत्रों के लिए जमीन खरीदने में ही लगा रहा। वह सदैव एक के बाद दूसरा खेत खरीदने की तैयारी में लगा रहता। उसने न कभी अच्छा खाया न पहना। देखते ही देखते एक दिन वह अपार संपत्ति का मालिक बन गया। अब उसके बेटे जवान हो चुके थे और उनका गृहस्था जीवन भी शुरू हो चुका था। वक्त के साथ-साथ बुढ़िया के बेटे की उम्र बढ़ रही थी और उसकी आंखों में मोतिया बिन्द उतर आया था व रोशनी धीरे-धीरे जा रही थी। उसने अपनी कंजूसी के कारण किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं कराया और एक दिन निकट शहर में लगने वाले मुफ्त नेत्र चिकित्स शिविर में जाकर अपनी आंखों का आपरेशन करा आया। दुर्भाग्यवश उसका आपरेशन सफल नहीं रहा और उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। कुछ समय पश्चात उसे अपनी दोनों आंखें निकलवानी पड़ी।

इस विधाता का न्याय ही समझिये कि जिस व्यक्ति ने कभी अपनी अंधी मां की सेवा नहीं करी आज वह स्वयं अपने छह पुत्रों व अनेक पौत्रों के होने पर भी अत्यन्त कष्टमय जीवन जीने को विवश है।



कबीर के दोहों में छिपा दर्शन



—निधि एस. नागेन्द्र

संत कबीर का जन्म आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व; सन् 1398 में हुआ था। उनका जीवनकाल 120 वर्षों का रहा। उन्होंने सन् 1518 में अपने प्राणों का त्याग किया। संत कबीर की गिनती विश्व के श्रेष्ठ रचनाकारों में की जाती रही है। कबीर की पावन वाणी आज के सामाजिक परिदृश्य में उतनी ही सटीक बैठती है जितनी की उस दौर में रही। यह न हमें केवल सत्य का दर्शन कराती है बल्कि खुद से भी आत्मसात कराती है

संत कबीर पेशे से एक बुनकर थे, शायद इसीलिए इनती बड़ी सीखों की इतनी आसानी से दो पंक्तियों के दोहों में बुन देते थे। चाहे वह कबीर की भक्ति हो, चाहे कबीर का जातिवाद पर आक्षेप हो या फिर अंतर के दोषों पर प्रहार हो, कबीर ने कुछ दोहे भावार्थ के साथ प्रस्तुत हैं :-

**बुरा जो देखण मैं चला बुरा न मिलया कोया।
जो मन खोजा आपणा तो मुझसे बुरा न कोया॥**

कबीर कहते हैं कि हम अपने हालातों और परिस्थितियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारा अहम हमें दूसरों की बुराइयों दिखलाता है पर असली बुराई तो हमारे अपने भीतर में छुपी हुई होती है। अगर हम अपने मन की बुराइयों पर विजय पा लें तो सारी दुनिया हमें खूबसूरत और अच्छी नजर आने लगेगी।

**कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहिं।
सीस उतारै भुईं धरै, सो पैठे घर माहिं॥**

कबीर कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम में संपूर्ण समर्पण मायने रखता है। जब हम किसी परिचित (मौसी) के यहां जाते हैं तो मेहमानों की तरह हमारी खातिरदारी होती है, हमारा अहम् कायम रहता है, हमारा शीश घमंड से परिपूर्ण होता है पर ईश्वर प्रेम तो वह घर है, जहां प्रवेश करने से पहले अपने अहम्, अपने अंतस की बुराइयों को तजकर अपने देव में लीन होने के लिए सर्वस्व समर्पण करना होता है।

**जब तु आया जगत में लोग हंसे तू रोया।
ऐसी करनी न करी पाछे हंसे सब कोए॥**

भावार्थ : कबीर कहते हैं जब एक नए जीवन का जन्म होता है, सारी दुनिया नव जीवन के आने की खुशियां मनाती है। ईश्वर के बन्दों को

अपने जीवनकाल में ऐसे कर्म करने चाहिए कि जब वो इस दुनियां से जाएं, शांत प्रसन्न हो कर जाएं और परिजनों के हृदय में इस तरह सुखद स्मृतियां छोड़कर जाएं कि मृत्यु के बाद भी ये दुनिया उन्हें भुला न पाए।

**माया मरी न मन मरा मर गए शरीर।
आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कबीर।**

भावार्थ : कबीर कहते हैं कि मानव शरीर तो नश्वर है, इसे एक दिन समाप्त हो जाना है पर माया का खेल अनवरत् जारी रहता है। हमारे भीतर की इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं सारी उम्र हमें भटकाती हैं और हम इस मायाजाल में उलझे रहते हैं। असली विजय तो इस भटकाव से निकल जीवन का असली सार पाने में है।

**चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह।
जिनको कछु न चाहिए वो ही शंहशाह॥**

भावार्थ : संत कबीर कहते हैं कि चिंताओं की वजह मन की चाह है, जो कभी पूरी नहीं होती। एक चाह पूरी हुई नहीं कि दूसरी मन में आ जाती है और न मिलने पर दुखी कर जाती है। अगर मन से चाह निकल जाए तो मन उन्मुक्त पंछी की तरह लापरवाह हो जाएगा, तब शायद किसी चीज की आस नहीं बचेगी। तब सही अर्थों में मन की विजय होगी।

संत कबीर ने बड़ी से बड़ी बातों को इतने सहज एवं कम शब्दों में कह दिया है जिसके गूढ व गहन अर्थों का समझने में अनेक विद्वानों को बड़ी-बड़ी उपाधियों और डिग्रियाँ प्राप्त हो गईं। अब देखिए न कि आत्म संतुष्टि के बारे में कैसे कहते हैं-

**रूखी सूखी खय के ठंडा पानी पीया।
देख चूपड़ी औरकी मत ललचाए जीव॥**

वे कहते हैं कि दूसरे के पास क्या है उसके लोभ या लालच में न फँसकर जो भी अपने पास है उस पर ही हमें संतोष करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम लोभ-लालच के चीछे दौड़ते रहते हैं।

कबीर के वचन अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। कबीर के वचन आज के भौतिकतावादी युग में उतने ही सामाजिक और प्रभावी हैं जितने की तब थे। कबीर के दोहे मुश्किलों में मानव के लिए प्रकाश का मार्ग आलोकित करते हैं।



पैसा भेजना हुआ आसान

—स्रोत दैनिक जागरण

इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के विभिन्न हिस्सों में रुपये के आदान-प्रदान को काफी तेज व सरल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत एक बैंक की किसी शाखा में एक खाते से देश के किसी भी दूसरे हिस्से में किसी भी बैंक के चयनित खाते में पैसा भेजा जा सकता है। यह हस्तांतरण कुछ ही मिनटों में हो जाता है।

अभी कहां-कहां ईएफटी सुविधा उपलब्ध है?

सबसे पहले देश के 15 प्रमुख शहरों (अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम) में स्थित 27 सरकारी बैंकों और 55 अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं में ईएफटी प्रणाली लागू की गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन शहरों की किसी भी बैंक शाखा में एक खाते से दूसरे खातों में राशि हस्तांतरित करना मिनटों का काम है। धीरे-धीरे देश के अन्य हिस्सों में स्थिति बैंक शाखाओं में भी इसका विस्तार किया जा रहा है।

नकदी हस्तांतरण में कितना समय लिया जाता है?

मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक बैंक की शाखा अगर 12 बजे से पहले कोष हस्तांतरण संबंधित विवरण रिजर्व बैंक को भेज

देती है तो उसका दूसरे खाते में ट्रांसफर उसी दिन हो जाता है। दोपहर 12 बजे रिजर्व बैंक पहली बार ईएफटी प्रणाली के तहत कोष हस्तांतरण का काम करता है। इसके बाद दोपहर दो बजे और चार बजे फिर कोष हस्तांतरित होते हैं। लेकिन इस राशि को अगले दिन ही संबंधित पक्ष प्राप्त कर सकता है।

ईएफटी प्रणाली कैसे काम करती है?

सबसे पहले ग्राहक को ईएफटी आवेदन पत्र भरना होता है। इसमें जां कोष हस्तांतरित करना हो, उसके बारे में सभी जानकारी जैसे शहर, बैंक, शाखा, नाम, खाते की प्रकृति, खाता नंबर आदि की जानकारी देनी होती है। इस आवेदन के तहत ग्राहक बैंक को यह अनुमति देता है कि वह उसके खाते से फंड ट्रांसफर कर सकता है। शाखा उस आवेदन को अपने बैंक की उस विशेष शाखा को भेजता है जहां ईएफटी डाटा को आगे बढ़ाने का काम हाता है। अब यह काम कंप्यूटर पर ही होने लगा है। कुछ बैंकों ने अपनी शाखाओं को ही इसके लिए तैयार कर दिया है। विशेष शाखा संबंधित डाटा की छानबीन कर उसे आरबीआई के क्षेत्रीय क्लियरिंग प्रकोष्ठ को भेज देती है। आरबीआई को प्रकोष्ठ सभी बैंकों से प्राप्त आवेदनों को नगर के लिहाज से छांटता है और उन्हें संबंधित शहरों में भेज देता है। प्राप्तकर्ता बैंक समय के लिहाज से पहले या दूसरे दिन आरबीआई से प्राप्त आवेदन की जांच-पड़ताल कर संबंधित ग्राहक के खाते में राशि ट्रांसफर कर देता है।

संवेदन से शून्य

प्रस्तुति : प्रभात कुमार मेहरोत्रा, प्रबंधक

संवेदन से शून्य
प्रभात कुमार मेहरोत्रा, प्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू
संवेदन से शून्य
भावनाओं से इतर
आज का मनुष्य
मशीन की तरह
कर रहा, खटर-पटर, खटर-पटर
एवरेस्ट की ऊँचाई

भले ही तुमने पाई
पर शक नहीं है। इसमें
चरित्र को गिरा अपने
नैतिकता की खोदी खाई।
शव को तुम्हारे कौन काँधा देगा?
क्या 'डिपाजिट' है, किस पर इंटरैस्ट पायेगा?
'विदड्राल' गर करता रहा,
'डिफाल्टर' कहलायेगा।
(कुछ नेक कार्य कर लो, वही काम आयेगा)



निर्णय का तोल-मोल



—विजेता राठौर

सहायक प्रबंधक

जब भी किसी मुद्दे पर निर्णय की बात आती है, हमारे दिमाग में एक उलझन, एकसंदेह और न जाने कौन-कौन से विचार आ जाते हैं। निर्णय को अगर नाप-तौल कर लिया जाए तो निर्भर के भ्रम को दूर किया जा सकता है। निर्णय के प्रभाव से होने वाले लाभ (पक्ष) और नुकसान (विपक्ष) को तौल कर निर्णय लेने से गलती की गुंजाइश कम होती है और सही निष्कर्ष तक पहुँचना आसान हो जाता है।

जब हमारी समक्ष कोई जटिल मुद्दा आता है तो हम उसके कठिन होने पर विचार करते हैं, परन्तु उस विचार के पक्ष और विपक्ष हमारे मन में एक साथ उत्पन्न नहीं होते या फिर हम एक साथ सिक्के के दोनों पहलू नहीं देख सकते हैं। कभी उसका पक्ष प्रबल होता है और हमारा मन निर्णय लेने के बारे में सोचता है किन्तु दूसरे ही क्षण विपक्ष की बातें मन में आने पर हम दुविधा में पड़ जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते हैं।

निर्णय की इस दुविधा से बाहर निकलने का एक तरीका है। जब भी निर्णय लेना हो तो पहले उसके पक्ष (लाभ) के बारे में

विचार करें और उसके पश्चात दूसरी तरफ विपक्ष को सोचें। कागज के बीच में लाइन खींच कर दो हिस्सों में विभाजित कर दें तथा पक्ष व विपक्ष की बातें उसमें क्रमशः लिखते जाएं। जब सबको एक साथ देखेंगे तो उनके वजन की जांच करने की कोशिश करें।

यदि पक्ष के एक विचार का वजन विपक्ष के वजन के बराबर हो तो दोनों को काट दें। पक्ष का एक कारण विपक्ष के दो कारणों के बराबर है तो तीनों को काट दीजिए। विपक्ष के दो कारण पक्ष के तीन कारणों के बराबर हों तो पाचों को काट दीजिए और इसी तरह तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक कि यह पता न चल जाए कि किसका पलड़ा भारी है। इसी के अनुसार अपना निर्णय कीजिए।

जब हर एक को अलग-अलग और तुलनात्मक रीति से तौला जाता है और जब पूरे कारण सामने होते हैं तो बेहतर व सही निर्णय करने में सहायता मिलती है। आप भी एक बार यह तरीका अपना कर देखिए तो आपको अपने निर्णय में सफलता जरूर मिलेगी।

शाह-ए-जहाँ बना हमारा ताज : २००७ की यादगार उपलब्धि

जी हां, यह सच है! दुनिया के नए सात अजूबों में ताजमहल शामिल हो गया है। ताज को सम्मान दिलाने के लिए करोड़ों भारतीयों और दुनिया भर के ताज प्रेमियों ने अपने प्रेम को प्रकट करते हुए वोट देकर “ताजमहल” को आखिरकार दुनिया के अजूबों में शामिल करवा ही दिया।

लिस्बन में 07.07.07 के दिन न्यू सेवन वंडर्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य समारोह में ताज सहित दुनिया के नए सात अजूबों की घोषणा की गई। इन अजूबों का चयन एक विश्वव्यापी कोशिश थी और इसके लिए दुनिया की सात श्रेष्ठ विश्व धरोहरों को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया। दुनिया के नए सात अजूबों के चुनाव का मिशन 4-5 वर्ष पहले से शुरू हो चुका था। इसका

उद्देश्य था - मानव इतिहास के 2000 सालों की उपलब्धियों पर एक वास्तविक आम राय तैयार हो।

77 धरोहरों की सूची में से वोटिंग के लिए कुल 21 धरोहरों को अंतिम सूची में स्थान मिल गया था। एक अनुमान के मुताबिक नए अजूबे चुने जाने के लिए 10 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। भारत में भी वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल बना। जून के अंत तक जहाँ भारत से कुल मतों के सिर्फ 13 फीसदी वोट गए थे, वहीं अंतिम कुछ दिनों में भारी मतों से हमारे ताज को सरताज का खिताब मिल गया। अगर हम भारतवासी मिलकर किसी भी मंजिल को पाना चाहें तो सफलता मिलना निश्चित ही है।



भ्रूण हत्या और कानून : कुछ पहलू

—स्रोत दैनिक जागरण

भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों में किए गए प्रावधानों की जानकारी नहीं होना भी इस गंभीर सामाजिक बुराई को रोक पाने में असफल होने का एक प्रमुख कारण है। ला ऑफ टार्ट में भ्रूण को अनेक कानूनी अधिकार दिए गए हैं उसे पैतृक संपत्ति का अधिकार है उसे किसी पर भी मुकदमा चलाने का अधिकार है। इस प्रकार गैर कानूनी तरीके से गर्भपात को यह संभावित उत्तराधिकारी की हत्या हेतु एक मुकदमा दायर करने एवं उसके हक छीनने का मामला बनाया जा सकता है लेकिन इस कानून का वह कैसे इस्तेमाल कर सकता है जबकि वह बोल ही नहीं सकता; हाँ। मां यह काम कर सकती है लेकिन मां की विरोध कैसे करे।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299, 300 में मिसकैरेज भ्रूण यानी मां के गर्भ में बच्चे को चोट पहुंचाने और नवजात शिशु को खुले में लावारिस फेंक देने आदि को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्थाएं हैं। यह कानून मिसकैरेज को अपराध मानता है। इसके तहत गर्भमपात करवाने वाली मां और गर्भपात करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कारवाई की जा सकती है। कानून की धारा 312 से 318 में भ्रूण हत्या के मामलों से निपटने के प्रावधान हैं। इस कानून के तहत भ्रूण हत्या करने और करवाने वाले को सजा का प्रावधान है। अपराधा साबित जो जाने पर दोषी को आजीवन

कारावस या दस साल तक जी सजा और जुर्माना किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितयां इस प्रकार की अड़चने हैं। कानूनी खमियों का लाभ उठाकर यह कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। इस कानून को कड़ा बनाने के लिए बलात्कार के कानून की तरह अपराधी को अपने को दोष पुक्त साबित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि भ्रूण हत्या के अपराधा से साबित करने के लिए सबूत जुटा पाने में मुश्किल आती है। इसी तरह में भ्रूण हत्या के मामलों में परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपराध में शामिल माना जाना चाहिए। तीसरे पक्ष को भी इस तरह के मामलों को दर्ज कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस तरह का कड़ा कानून बनाए जाने के विरोध में तर्क दिए जा सकते हैं कि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। हां दुरुपयोग की संभावना हो सकती है लेकिन संभावना के नाम पर भ्रूण हत्या जैसे गंभीर और दूरगामी प्रभाव डालने वाले अपराधा की और आंख बंदकर ली जानी चाहिए। भ्रूण हत्या और केवल वह बेटी है इसलिए उसकी हत्या कर दी जाए और व्यक्ति और समाज की सोच उसे मंजूरी देती रहें इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ व्यापक जन अभियान चलाया जाना चाहिए एवं समाज को जागरूक बनाया जाए कि बेटी आपके बेटों से बढ़कर है।

वक्त की बेईमानी

प्रस्तुति : विनीता पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह, उप प्रबंधक

एक बीती हुई जवानी हूँ मैं,
अब आग नहीं बस पानी हूँ मैं।
मैं थकीनहीं और रुकी नहीं
अवरोधों से भ्रंजी हटी नहीं,
तान के सीना जिधर से निकली
वहां लिख दी नई कहानी है।
तरु हूँ मैं वो वन की
जिसने आंधी तुफान झेले हैं,

खुद तप कर जीवन भर मैंने
अपनी छाया दी है।
अब सूख गए जब पत्ते मेरे,
छोड़ एग जो सब थे मेरे।
जिनके लिए श्री मैं भरमायी
आज उन्हीं ने है तुकराया,
अब टूट रही जब सांसें की डोर
नहीं कोई मेरे चहूँ ओर।

नहीं कोई शिकवा तुमसे
यह तो वक्त की बेईमानी है,
हमने सीखा लेना नहीं
बस देना ही जिंदगानी है।
नहीं 'सूरज' तो क्या
बुझता 'दीया' ही सही,
पत जब तक है 'बाती' बाकी
हमने तो बस जलने की ही ठानी।



काव्य सुधा

राष्ट्रभाषा हिन्दी

प्रस्तुति : अजय कुमार
सहायक प्रबंधक

क्यों न करें हिन्दी में काम
यह अपने जन गण की भाषा
इसी से जीवित अपनी आशा
हिन्दी है एक सरल भाषा
हिन्दी है इस देश की आशा
आओं करें इसका सम्मान
क्यों न करें हिन्दी में काम।
हिन्दी ही है हिन्दुस्तान
इसपर है हमको अभिमान
किया राम कृष्ण का गुणगान
वे हिन्दी के कवि थे महान
तुलसी, सूर, मीरा व रसखान
क्यों न करें हिन्दी में काम।
हिन्दी अपनी है राजभाषा
है हमको देती ऐसी आशा
एक दिन ऐसा आयेगा
हर भारतवासी इसे अपनायेगा
आओ करें इसका सम्मान
क्यों न करें हिन्दी में काम।
जन-जन का यही नारा
हिन्दी से होगा विकास हमारा
हिन्दी की आँधी आयेगी
दुनिया सारी अपनाएगी
हिन्दी का है यही पैगाम,
हिन्दी में सबको करना है काम।

कहाँ है मृदु लता सुकुमार

प्रस्तुति : एस.डी.शर्मा
लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त)

बांध बाँहों से कोमल पात,
थका सा रह जाता मृदु गात,
सुमन अंगुरियों से झकझोर,
सुरभ करे मिला नया सा छोर
अलि-दल कलियों में करते गुंजार।
सखे! कितना कठोर यह पाश,
मलिन सी कलियों में उच्छवास
मंद सी रह गई जकड़ी आश
हरण करने दो उनका त्रास,
इन पंखुरियों से मुझे दुलार,
ऊषा बटोर लायी प्रभात,
बीत चुकी भयावह रात,
रश्मियाँ भी लायी द्युति भरकर,
मुस्कराती जी कलियां छूकर,
अब विलीन हो रहा अंधकार।
अरे प्रकाश में संकुचाये ये फूल,
रहे डालियों के झूले ये झूल,
किस मधुर सौरभ से जना,
मृदु फूल सुंदरतम घना,
इस भूतल पर कर लूं विहार।

उपवन संभलना चाहिए

प्रस्तुति : प्रभात कुमार मेहरोत्रा
प्रबंधक

खुशबू का हर द्वारा
बन्द कर दिय बबूलों ने
अपने घर भी बना लिये
हर घर में शूलों ने
हमं पराजित किया
हमारे चन्द उसूलों ने
ले ली जगह गुलाओं की भी,
कैक्टस के कृत्रिम फलों ने.....
..... हो चुका बहुत
अब तो बदलना चाहिए
बबूलों को, शूलों को, उखाड़ फेंक
फिर मुकम्मल ढंग से, उपवन संभलना चाहिए।



आपकी पाती



दिनांक : 06.03.2008

महोदय

नूतन वर्ष 2008 की हार्दिक शुभकामनाएं।

हमें आपकी राजभाषा पत्रिका आवास भारती का अक्टूबर-दिसम्बर, 07 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में शामिल बैंकिंग विषयक लेख तथा कविताएँ पठनीय हैं। आप द्वारा प्रस्तुत 'फिनलैंड में आवास की स्थिति' से पाठकों को आवास की पद्धति की जानकारी मिलती है। पत्रिका में शामिल अन्य लेख भी सूचनाप्रद हैं। पत्रिका का कलेवर अच्छा है। साज-सज्जा भी उत्कृष्ट है। पत्रिका के कुशल संपादन के लिए संपादन मंडल को बधाई।

भवदीय

(राजीव)

महाप्रबंधक (राजभाषा)
इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

दिनांक : 31.03.2008

महोदय

हमें आपके द्वार प्रकाशित हिंदी पत्रिका आवास भारती के अक्टूबर-दिसंबर 2007 अंक की प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका की विषय वस्तु का चुनाव काफी सावधानीपूर्वक किया गया है और विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण, रुचिकर और सारगर्भित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। पाठकों की दृष्टि से पत्रिका निःसंदेह बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक प्रतीत होती है। पत्रिका की साज-सज्जा, कवर और मुद्रण भी अत्यंत आकर्षक है। हम आपकी पत्रिका की सफलता और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

भवदीय

के.सी. मालपानी
कृते मुख्य महाप्रबंधक,
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
दादर, मुंबई

दिनांक : 26.02.2008

महोदय

दिनांक 18.02.2008 के पत्र संख्या राआबैंक(नदि)/आवास भारती/108/2008 के साथ आपके द्वारा भेजी गई गृह पत्रिका 'आवास भारती' के अक्टूबर-दिसंबर, 2007 अंक के अंक की एक प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई। पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न विषयों के लेख/रचनाएं रोचक होने के साथ-साथ उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक भी हैं।

आशा है यह पत्रिका हमें नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी।

धन्यवाद

भवदीय

(दीपक कुमार)

अपर महा प्रबंधक (वित्त)/हिंदी प्रभारी
सेंट्रल कॉर्टेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिरा लि., नई दिल्ली

दिनांक : 03.03.2008

महोदय

आपके पत्रांक रा.आ.बैंक (न.दि.)/आवास भारती/08/2008 दिनांक 18 फरवरी, 2008 के साथ आवास भारती का उपर्युक्त अंक हमें सधन्यवाद प्राप्त हुआ।

पत्रिका का अवलोकन करने के उपरांत हमें यह लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने नाम को साकार करते हुए आकर्षक मुखपृष्ठ के साथ पत्रिका अपनी एक अलग छाप छोड़ती है। इसमें निहित सामग्री अत्यंत ज्ञानवर्द्धक एवं रुचिकर है। आधुनिक बैंकिंग का स्वरूप जहां बैंकिंग क्षेत्र की नयी विधाओं की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है वहीं अमूल्य समय का सदुपयोग करें। लेख समय के कहत्व को दर्शाता एक अच्छा लेख है जो पाठकों के लिए समय प्रबंधन की दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, पत्रिका में निहित अन्य लेख भी संबंधित विषयों पर सटीक एवं उच्च कोटि की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। समग्र रूप में यह पत्रिका कुशल संपादन का उक उत्कृष्ट नमूना है, जिसके लिए संपादक मंडल के सभी एवं रचनाकार बधाई के पात्र हैं।

भवदीय,

(अरुण श्रीवास्तव)

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली

दिनांक : 22.02.2008

महोदय

आवास, आवास वित्त, सम-सामयिक बैंकिंग, समय का सदुपयोग एवं भूसम्पदा संबंधी म्यूचुअल फंड संबंधी ज्ञान से सुसज्जित आवास भारती का दिसंबर 2007 का अंक प्राप्त हुआ। इस जानकारी में चुनौति, स्वयं तथा भारत भूमि कविताओं ने काव्यसुधा का कार्य किया। संपादकीय में राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति के संदर्भ में सबके लिए वहन योग्य आवास पर जोर दिया गया। आवास भारती का प्रत्येक अंक संग्रहणीय एवं सूचनाप्रद होता है। बधाई

भवदीय,

(डॉ. इन्द्र कुमार शर्मा)

मुख्य अधिकारी (राजभाषा)

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली

पंजी. सं. DELHI IN/2001/6138



राष्ट्रीय
आवास बैंक

Cover Design - Neeti Jain/Accurate Prints : 9871196002

मुद्रण तिथि : 31 मार्च 2008